सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF CULTURE**
**NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY**

# बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

# Heritage Bye-Laws for The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh

# बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

# Heritage Bye-Laws for The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh

## विषय – सूची


| | | |
|---|---|---|
| **अध्याय 1<br>प्रारंभिक** | | |
| 1.1 | संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 1 |
| 1.2 | परिभाषाएं | 2-4 |
| **अध्याय 2<br>प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि** | | |
| 2.1 | अधिनियम की पृष्ठभूमि | 5 |
| 2.2 | धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध | 5 |
| 2.3 | आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां | 5-6 |
| **अध्याय 3<br>संरक्षित संस्मारक - बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश का स्थान और अवस्थिति** | | |
| 3.1 | संस्मारक का स्थान और अवस्थिति | 7-9 |
| 3.2 | संस्मारक की संरक्षित सीमा | 9 |
| | 3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख के अधिसूचना मानचित्र/योजना | 9 |
| 3.3 | संस्मारक का इतिहास | 10 |
| 3.4 | संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि) | 10 |
| 3.5 | वर्तमान स्थिति | 10 |
| | 3.5.1 संस्मारक की स्थिति-स्थिति का आकलन | 10 |
| | 3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या | 10 |
| **अध्याय 4<br>स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो** | | |
| 4.1 | मौजूदा ज़ोनिंग | 11 |
| 4.2 | स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश | 11 |
| **अध्याय 5<br>प्रथम अनुसूची एवं सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना** | | |
| 5.1 | संस्मारक की सर्वेक्षण योजना | 12 |
| 5.2 | सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण | 12 |
| | 5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण | 12 |
| | 5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण | 12-13 |

| | | |
|---|---|---|
| | 5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण | 13 |
| | 5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि | 13-14 |
| | 5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई | 14 |
| | 5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन यदि उपलब्ध हों | 14 |
| | 5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं | 14 |
| | 5.2.8 संस्मारक तक पहुंच | 14 |
| | 5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं | 15 |
| | 5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग | 15 |
| **अध्याय 6<br>संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व** | | |
| 6.1 | संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व | 16 |
| 6.2 | संस्मारक की संवेदनशीलता | 16 |
| 6.3 | संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता | 17 |
| 6.4 | पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग | 17 |
| 6.5 | संरक्षित संस्मारक के अलावा पुरातात्विक धरोहर अवशेष | 17 |
| 6.6 | सांस्कृतिक परिदृश्य | 17-18 |
| 6.7 | महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य | 18 |
| 6.8 | खुली जगह और निर्माण का उपयोग | 18 |
| 6.9 | पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ | 18 |
| 6.10 | संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज | 19 |
| 6.11 | पारंपरिक वास्तुकला | 19 |
| 6.12 | स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना | 19 |
| 6.13 | अनुमेय भवन संबंधी मापदंड | 19-20 |
| | 6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में) | 20 |
| | 6.13.2 पुनर्निर्माण | 20-21 |
| | 6.13.3 नया निर्माण | 21-22 |
| 6.14 | आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन | 22 |
| **अध्याय 7<br>स्थल विशिष्ट सिफारिशें** | | |
| 7.1 | स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें | 23 |
| 7.2 | अन्य सिफ़ारिशें | 23 |

| CONTENTS | | |
|---|---|---|
| **CHAPTER 1<br>PRELIMINARY** | | |
| 1.1 | Short title, Extent and Commencements | 24 |
| 1.2 | Definitions | 25-26 |
| **CHAPTER 2<br>Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended** | | |
| 2.1 | Background of the Act | 27 |
| 2.2 | Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws | 27 |
| 2.3 | Rights and Responsibilities of the Applicant | 27-28 |
| **CHAPTER 3<br>Location and Setting of Protected Monument - The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh** | | |
| 3.1 | Location and Setting of the Monument | 29-31 |
| 3.2 | Protected Boundary of the Monument | 31 |
| | 3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records | 31 |
| 3.3 | History of the Monument | 31 |
| 3.4 | Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.) | 32 |
| 3.5 | Current Status | 32 |
| | 3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment | 32 |
| | 3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers | 32 |
| **CHAPTER 4<br>Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans** | | |
| 4.1 | Existing Zoning | 33 |
| 4.2 | Existing Guidelines of the local bodies | 33 |
| **CHAPTER 5<br>Information as per First Schedule and Survey Plan** | | |
| 5.1 | Survey Plan of the Monument | 34 |
| 5.2 | Analysis of surveyed data | 34 |
| | 5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details | 34 |
| | 5.2.2 Description of built up area | 34-35 |
| | 5.2.3 Description of green/open spaces | 35 |
| | 5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc. | 35 |
| | 5.2.5 Existing Heights of buildings (Zone wise) | 36 |
| | 5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings | 36 |

| | | |
|---|---|---|
| | 5.2.7 Public amenities | 36 |
| | 5.2.8 Access to Monument | 36 |
| | 5.2.9 Infrastructure services | 36 |
| | 5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies | 37 |
| **CHAPTER 6<br>Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument** | | |
| 6.1 | Architectural, historical and archaeological value | 38 |
| 6.2 | Sensitivity of the Monument | 38 |
| 6.3 | Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area | 38-39 |
| 6.4 | Land-use to be identified | 39 |
| 6.5 | Archaeological heritage remains other than Protected Monument | 39 |
| 6.6 | Cultural landscapes | 39 |
| 6.7 | Significant natural landscapes | 40 |
| 6.8 | Usage of open space and constructions | 40 |
| 6.9 | Traditional, historical and cultural activities | 40 |
| 6.10 | Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas | 40-41 |
| 6.11 | Traditional architecture | 41 |
| 6.12 | Developmental plan, as available, by the local authorities | 41 |
| 6.13 | Permissible Building related parameters | 41 |
| | 6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area) | 41-42 |
| | 6.13.2 Reconstruction | 42 |
| | 6.13.3 New Construction | 42-44 |
| 6.14 | Visitor facilities and amenities | 44 |
| **CHAPTER 7<br>Site Specific Recommendations** | | |
| 7.1 | Site Specific Recommendations | 45 |
| 7.2 | Other Recommendations | 45 |

| Annexure | | |
|---|---|---|
| अनुलग्नक-I<br>Annexure-I | बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना<br>Survey Plan of The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh | 46 |
| अनुलग्नक-I (क)<br>Annexure–I (a) | बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश की संरक्षित सीमा को दर्शाता अभिलेखीय मानचित्र<br>Archival Map showcasing the Protected Boundary of The Palace situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh | 47 |
| अनुलग्नक-II<br>Annexure-II | संस्मारक की अधिसूचना<br>Notification of the Monument | 48-49 |
| अनुलग्नक-III<br>Annexure-III | बुरहानपुर विकास योजना 2021<br>Burhanpur Development Plan 2021 | 50 |
| अनुलग्नक-III (क)<br>Annexure–III (a) | बुरहानपुर विकास योजना 2021-निवेश इकाई सीमा मानचित्र<br>Burhanpur Development Plan 2021-Planning Unit Boundary Map | 51 |
| अनुलग्नक-III (ख)<br>Annexure-III (b) | बुरहानपुर विकास योजना 2021-पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के स्थान<br>Burhanpur Development Plan 2021 – Places of archaeological and historical importance | 52 |
| अनुलग्नक-IV<br>Annexure-IV | संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के चित्र<br>Images of the Protected Monument and its surrounding areas | 53-58 |

**भारत सरकार**
**संस्कृति मंत्रालय**
**राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण**

---

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारक **"बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें वास्तुकला अकादमी, नई दिल्ली के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप-नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 21.12.2021 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

## "बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश" के लिए धरोहर उप-विधि

### अध्याय 1
### प्रारंभिक

**1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-**

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित संस्मारक **"बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

## 1.2 परिभाषाएं:-

1. इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन: निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ़) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन: निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

## अध्याय 2

## प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

### 2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है **(i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और **(ii) विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन: निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

### 2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

### 2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

## अध्याय 3

## संरक्षित संस्मारक - बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश का स्थान और अवस्थिति

### 3.1 संस्मारक का स्थान और अवस्थिति:

बुरहानपुर के किले में स्थित महल बुरहानपुर शहर में ताप्ती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित एक संरक्षित संस्मारक है।

भौगोलिक निर्देशांक हैं: **अक्षांश:** 21°18'28" उत्तर, **देशांतर:** 76°14'12" पूर्व।

ताप्ती नदी के किनारे स्थित संरक्षित संस्मारक बुरहानपुर में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प स्थल है। यह मजबूत रक्षात्मक दीवारों से घिरा हुआ है और ऐतिहासिक महत्व की कई संरचनाओं के साथ एक बड़े क्षेत्र में है। महल रणनीतिक रूप से ऊंचा है, जो ताप्ती नदी सहित आसपास के परिदृश्य के सुंदर दृश्य प्रदान करता है। संरक्षित संस्मारक किले के परिसर के भीतर हरे-भरे बगीचों और खुली जगहों के बीच स्थित है, जिसमें मुगलों के चारबाग उद्यान की शैली शामिल है। संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में पारंपरिक और आधुनिक मिले-जुले घने आवासीय क्षेत्र हैं जो बुरहानपुर के विकसित होते शहरी परिदृश्य को दर्शाते हैं। इन क्षेत्रों में मिले-जुले उपयोग की शैली भी शामिल है, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक के साथ-साथ कुछ संस्थागत इमारतें भी शामिल हैं।

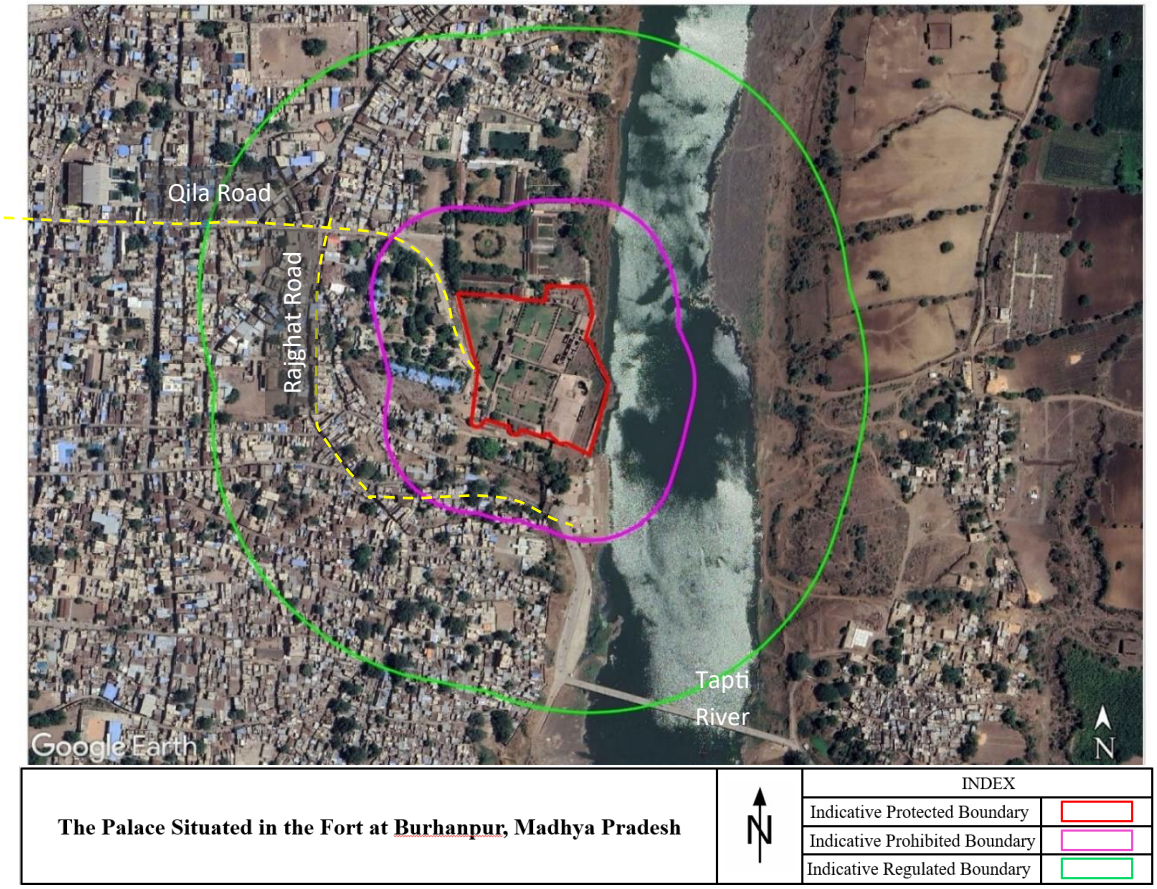


**चित्र 1: बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश के स्थान को दर्शाता उपग्रह चित्र**

दक्षिण-पूर्व दिशा में ताप्ती नदी के किनारे राजघाट क्षेत्र है जिसमें घाट (नदी के किनारे की सीढ़ियाँ), मंडप, स्मारक और मंदिर जैसे वास्तुशिल्प तत्व हैं। राजघाट बुरहानपुर में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है जो धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है। संरक्षित संस्मारक के निकट, राष्ट्रीय महत्व का एक ओर संस्मारक, जिसे हम्माम खाना, चौक मोहल्ला, बुरहानपुर के नाम से जाना जाता है, उत्तर-पश्चिम में स्थित है। हम्माम खाना के पूर्व की ओर अकबरी सराय के नाम से जानी जाने वाली ऐतिहासिक संरचना है।

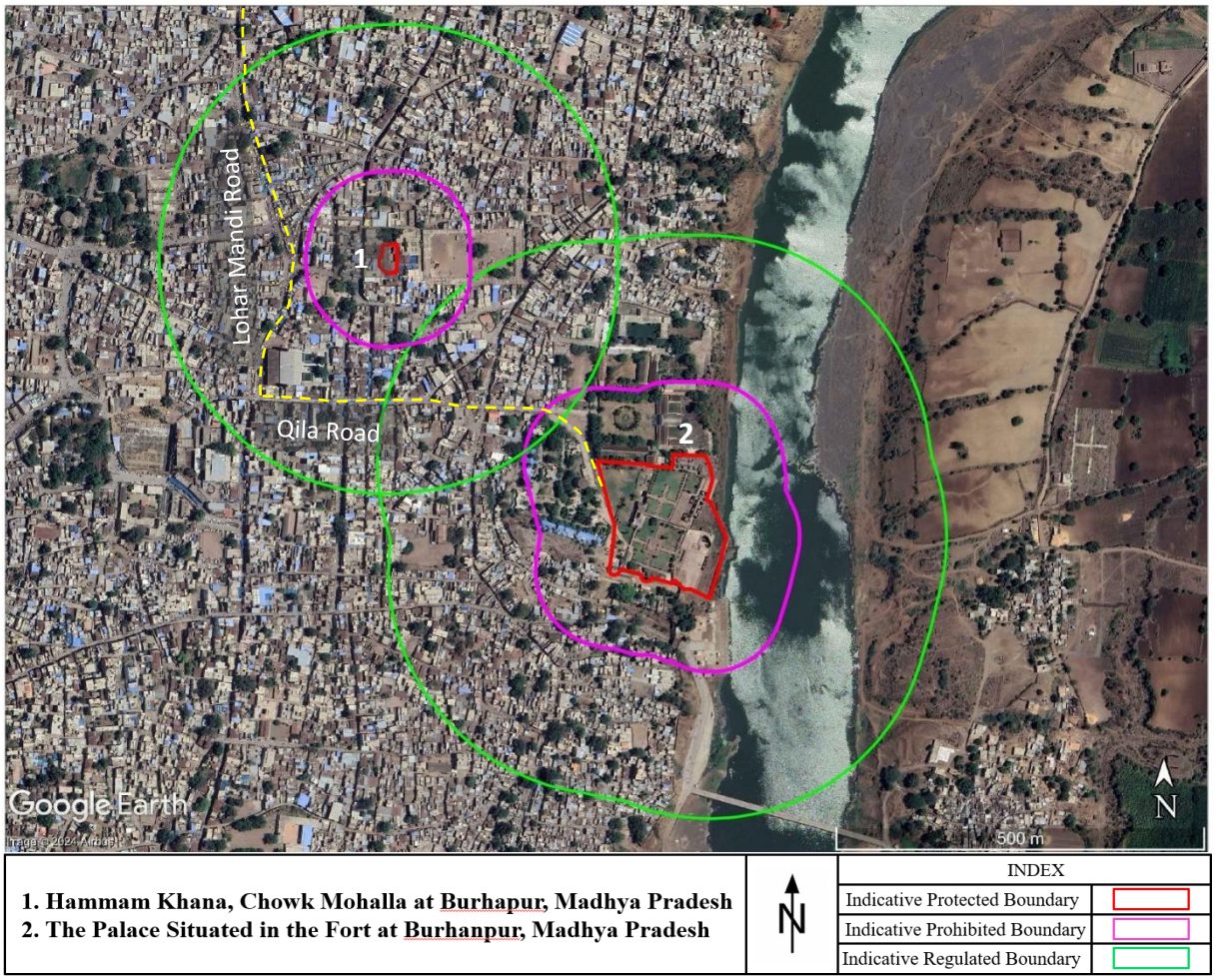


**चित्र 2: बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करती दूसरी संरक्षित संस्मारक के स्थान को दर्शाता उपग्रह चित्र**

संरक्षित संस्मारक सीधे लोहार मंडी रोड से जुड़ी हुई है जो आगे उत्तर में राज्य राजमार्ग से जुड़ता है। निकटतम रेलवे स्टेशन बुरहानपुर रेलवे स्टेशन है जो संरक्षित संस्मारक से 6.1 किलोमीटर दूर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा, इंदौर में देवी अहिल्याबाई होल्कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो खंडवा-इंदौर रोड (एसएच 27) के माध्यम से लगभग 186 किलोमीटर दूर है तथा यह देश के विभिन्न शहरों और प्रमुख शहरी केंद्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

बुरहानपुर में आज किले, मस्जिद, मकबरे, दरगाह, मजार, मंदिर, गुरुद्वारे, हमाम, सराय और अन्य सार्वजनिक इमारतों से लेकर कई ऐतिहासिक संस्मारक हैं। इसके अलावा, शहर के पुराने इलाकों में गुजराती, मराठी और राजस्थानी व्यापारिक समुदायों के बेहद सुसज्जित आवास भी मौजूद हैं। बुरहानपुर की निर्मित विरासत का महत्व शहर के केंद्र के 1.2 किलोमीटर के दायरे में ऐतिहासिक महत्व के आठ संस्मारकों की सघनता से स्पष्ट है। इनमें शाह नवाज खान का गुंबद, आदिल फारुकी का गुंबद और नादिर शाह का मकबरा, शाह शुजा का मकबरा, चूड़ीवालों की मस्जिद, बीबी साहिब की मस्जिद, चौक मोहल्ला स्थित हम्माम खाना, किले में स्थित महल और आहुखाना स्थल तथा परिसर की दीवार और मंडप और तालाब शामिल हैं।

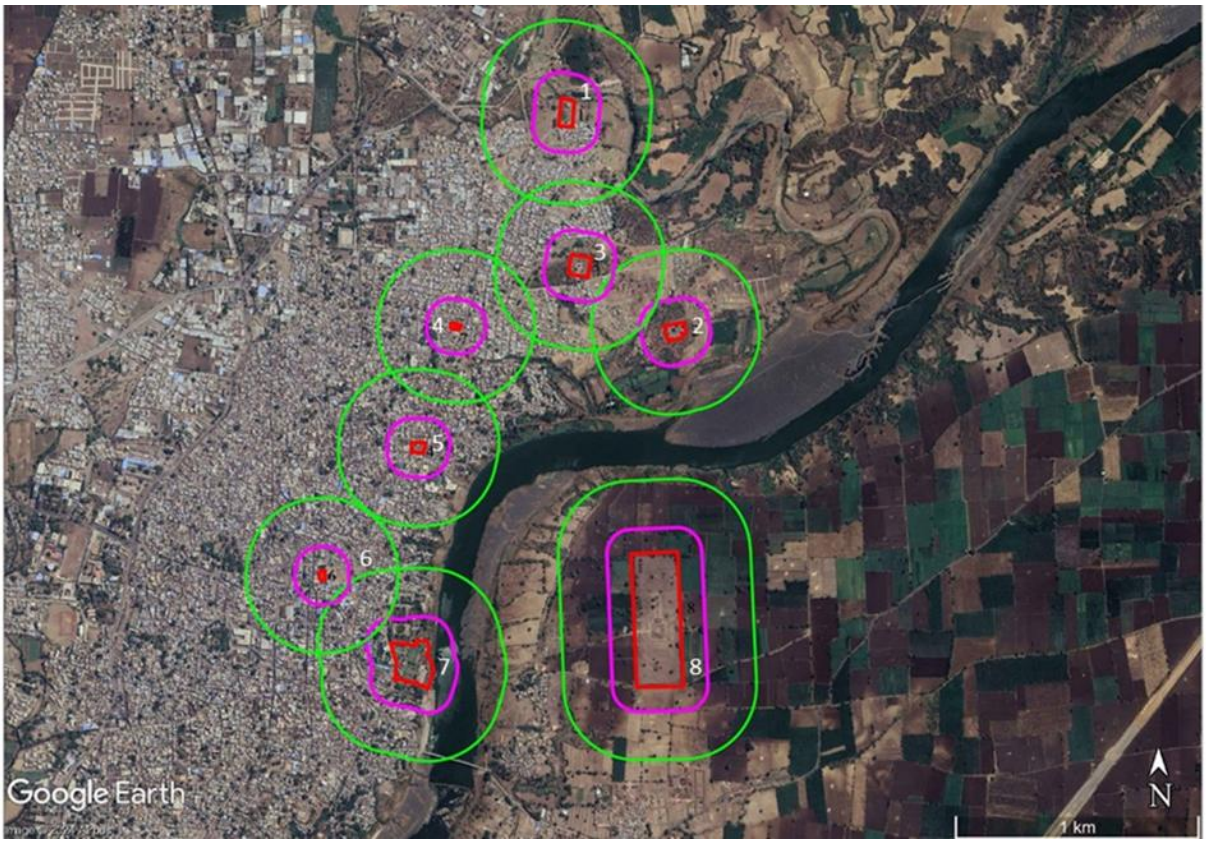


**चित्र 3: बुरहानपुर मध्य प्रदेश में संरक्षित संस्मारकों के समूह के स्थान को दर्शाता उपग्रह चित्र**

## 3.2 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारक - बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश की संरक्षित सीमा **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

### 3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश की राजपत्र अधिसूचना **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

## 3.3 संस्मारक का इतिहास:

किले में स्थित महल शहर के राजसी संस्मारकों में से एक है। मूल रूप से फ़ारूक़ी शासकों द्वारा 1500 ई. के आसपास निर्मित, जिसे बाद में बुरहानपुर के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने जीत लिया और बसाया। ऐसा माना जाता है कि शाहजहाँ न केवल महल में रहते थे बल्कि उन्हें यह बहुत पसंद भी था। उल्लेखनीय है कि सम्राट की प्रिय पत्नी मुमताज महल का निधन जून 1631 ई. में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय इसी महल में हुआ था।

## 3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

महल को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: दीवान-ए-आम और दीवान-ए-ख़ास। इसके अतिरिक्त, परिसर में अन्य संरचनाएँ भी शामिल हैं जैसे कि अस्थबल, एक छोटी इमारत वाली मीनार, पानी के फव्वारे, उद्यान, पुरानी तोपें, एक प्रवेश द्वार और प्रवेश द्वार पर कई कमरे। 16वीं शताब्दी के कारीगरों द्वारा मूर्तिकला और उत्तम नक्काशी की उल्लेखनीय कला अभी भी शेष संरचनाओं पर दिखाई देती है। महल की छत और दीवारें चित्रों से सजी हैं, जिनमें से कुछ का 2000 के दशक की शुरुआत में जीर्णोद्धार किया गया था। भित्तिचित्रों में एक उत्कृष्ट पैलेट दिखाई देता है, जिसमें मीनारों के साथ एक गुंबददार संरचना को दर्शाती एक छवि शामिल है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसने ताजमहल के डिजाइन को प्रेरित किया था। इस महल का मुख्य आकर्षण बेगम मुमताज महल द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शाही हमाम या शाही स्नानघर है। मुगल-ईरानी शैली में डिज़ाइन किया गया हमाम गुंबददार छतों के साथ संगमरमर से बना एक आयताकार हॉल है, जिसे छत्ते के काम पर बहुरंगी चित्रों से खूबसूरती से सजाया गया है। हॉल के मध्य में एक अष्टकोणीय स्नान कुंड है, जो कभी मुमताज महल के शाही स्नान के लिए सुगंधित जल, केसर और गुलाब की पंखुड़ियों से भरा हुआ था।

## 3.5 वर्तमान स्थिति:

### 3.5.1 संस्मारक की स्थिति - स्थिति आकलन:

संरक्षित संस्मारक का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विशेष अधिकार क्षेत्र है। संरक्षित संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक-IV** में संलग्न हैं।

### 3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

संरक्षित संस्मारक को देखने आने वाले लोगों की औसत संख्या प्रतिदिन लगभग 100-125 है। कभी-कभी यह संख्या प्रतिदिन लगभग 250-300 आगंतुकों तक पहुँच जाती है।

## अध्याय 4

## स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो

### 4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

बुरहानपुर विकास योजना, 2021 में बुरहानपुर के संपूर्ण नियोजन क्षेत्र को 9 निवेश इकाइयों में विभाजित किया गया है ताकि उनकी स्वतंत्र कार्यक्षमता, विशेष रूप से कार्य केंद्रों, वाणिज्यिक गतिविधियों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में सुनिश्चित की जा सके। संरक्षित संस्मारक और आसपास का क्षेत्र **नियोजन इकाई सीमा (1)** के अंतर्गत आता है। **अनुलग्नक-III (क)** देखें।

बुरहानपुर विकास योजना 2021 में बुरहानपुर के किले में स्थित महल को शहर के पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों में से एक बताया गया है। बुरहानपुर विकास योजना 2021 के अनुसार इन स्थलों की स्थापत्य पहचान और संवेदनशील वातावरण को पोषित करने, बढ़ावा देने और संरक्षित करने का प्रस्ताव है। **अनुलग्नक-III (ख)** देखें।

### 4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (1973 की संख्या 23) के तहत परिभाषित बुरहानपुर विकास योजना 2021 और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार निर्माण के लिए सामान्य दिशानिर्देश लागू होंगे।

## अध्याय 5

## भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21(1)/सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना

### 5.1 संस्मारक की सर्वेक्षण योजना:

बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

### 5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

#### 5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

i. संरक्षित क्षेत्र लगभग 24,120 वर्गमीटर (5.96 एकड़) है।

ii. प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 97,339 वर्गमीटर (24.05 एकड़) है।

iii. विनियमित क्षेत्र लगभग 3,80,739 वर्गमीटर (94.08 एकड़) है।

#### 5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

i. **उत्तर:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में उत्तर-पश्चिम दिशा में कुछ आवासों के साथ मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थान हैं। संरक्षित संस्मारक के समीप ताप्ती नदी के किनारे क्वाडेरिया विज्ञान, कला और वाणिज्य महाविद्यालय तथा हकीमिया स्कूल जैसे शैक्षणिक संस्थान स्थित हैं। हकीमिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की इमारतें विनियमित क्षेत्र में आती हैं। इसके अतिरिक्त, विनियमित क्षेत्र में अशरफ अली बाबा दरगाह के नाम से जानी जाने वाली दरगाह भी शामिल है। विनियमित क्षेत्र की उत्तर-पश्चिम दिशा में आवास और दुकानें मौजूद हैं, साथ ही एक पंपिंग स्टेशन और अंडा बाजार क्षेत्र में स्थित ताना गुजरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद भी मौजूद है। इसके अलावा, ऐतिहासिक अकबरी सराय संरचना का एक हिस्सा भी संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में आता है।

ii. **पूर्व:** संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्मित संरचना मौजूद नहीं है। ताप्ती नदी संरक्षित संस्मारक के समीप बहती है तथा नदी के पार खुली भूमि है जो ताप्ती नदी के पूर्वी तट का हिस्सा है।

iii. **दक्षिण:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में संरक्षित संस्मारक के निकट राजघाट नामक स्थान है जो दक्षिण-पूर्व दिशा में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसमें घाट (नदी के किनारे की सीढ़ियाँ), मंडप, संस्मारक और मंदिर जैसे वास्तुशिल्प तत्व हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों के लिए एक स्थल के रूप में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, राजघाट रोड के किनारे आवासीय भवन, एक मंदिर, पुराने किले की दीवार का एक हिस्सा और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में राजघाट गेट के रूप में जाना जाने वाला एक ऐतिहासिक द्वार मौजूद है। विनियमित क्षेत्र में आवासीय विकास के बीच दरगाह, मस्जिद, मंदिर और एक गुरुद्वारा सहित कई धार्मिक संरचनाएँ मौजूद हैं। पुराने किले की दीवार का एक

हिस्सा भी विनियमित क्षेत्र में आता है, साथ ही ताप्ती पुल भी है जो दक्षिण-पूर्व दिशा में नदी पर बना है।

iv. **पश्चिम:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवासीय इमारतें, कुछ मंदिर और एक ओवरहेड टैंक हैं। विनियमित क्षेत्र में खासकर किला रोड के किनारे मुख्य रूप से आवासीय इमारतें हैं, साथ ही कुछ मिश्रित उपयोग विकास भी हैं।

### 5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में विविध प्रकार के खुले स्थान हैं, जिनमें उद्यान, प्रांगण, सार्वजनिक और मनोरंजक स्थान, शैक्षिक और संस्थागत स्थान, प्राकृतिक और दर्शनीय क्षेत्र तथा ऐतिहासिक खुले स्थान शामिल हैं। प्रतिषिद्ध क्षेत्र में ताप्ती नदी के किनारे स्थित क्वाडेरिया विज्ञान, कला और वाणिज्य महाविद्यालय और हकीमिया स्कूल के परिसरों में इमारतों के बीच मैदान और उद्यान जैसे खुले स्थान शामिल हैं। संरक्षित संस्मारक से सटे ताप्ती नदी के तट (पूर्व और पश्चिम) पर प्राकृतिक खुले स्थान हैं जो प्राकृतिक परिदृश्य का अभिन्न अंग हैं और एक शांत वातावरण बनाते हैं। दक्षिण-पूर्व दिशा में ताप्ती नदी के तट पर स्थित राजघाट एक खुला स्थान है जिसमें घाट (नदी के किनारे की सीढ़ियाँ), मंडप, स्मारक और मंदिर हैं।

विनियमित क्षेत्र में उत्तर-पश्चिम दिशा में ऐतिहासिक अकबरी सराय के एक हिस्से में एक खुला प्रांगण है। अकबरी सराय के नज़दीक एक खुला क्षेत्र है जिसका इस्तेमाल पम्पिंग स्टेशन के रूप में किया जाता है जिसकी चारदीवारी पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण करके उसे पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल किया है। राजघाट के पास दक्षिण दिशा में गुरुद्वारा संगत पातशाही के परिसर में एक खुला स्थान मौजूद है। इसके अतिरिक्त प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र दोनों के भीतर खाली भूखंड और इस प्रकार की भूमि जिस पर निर्माण नहीं हुआ है। ये खुले स्थान, जो बस्ती के पैटर्न के स्थानिक विन्यास से उत्पन्न होते हैं, भविष्य में खुले हरित क्षेत्रों के रूप में विकास या संरक्षण की संभावना प्रदान करते हैं।

### 5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कई तरह की सड़कें मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में आवाजाही और संपर्क के लिए अभिन्न अंग हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संरक्षित संस्मारक स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों के लिए सुलभ बना रहे। इनमें किला रोड जैसी सड़कें शामिल हैं, जो संस्मारक तक सीधी पहुंच प्रदान करती हैं और राजघाट रोड जो राजघाट क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करती है और ताप्ती नदी के पार संरक्षित संस्मारक की कनेक्टिविटी और पहुंच को बनाए रखती है। किला रोड आगे पश्चिम में लोहार मंडी रोड से जुड़ती है जो शहर का एक प्रमुख मार्ग है और शहर के केंद्र को राज्य राजमार्ग 27 से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क है। अंडा बाजार क्षेत्र में और उत्तर-पश्चिम,

दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में अन्य सड़कें और संकरी गलियां हैं जो आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती हैं और साथ ही बस्ती के आंतरिक हिस्सों के साथ संपर्क प्रदान करती हैं।

### 5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की सामान्य निर्मित विशेषता में भूतल से लेकर G+2 ऊंचाई तक की इमारतें शामिल हैं जो मुख्य रूप से आवासीय इमारतें हैं और साथ ही कुछ मिश्रित उपयोग वाली इमारतें भी हैं। हालाँकि, अपवाद के रूप में कुछ ऐसी इमारतें हैं जो G+3 ऊंचाई की हैं। इमारतों की ऊंचाई उत्तर दिशा में लगभग 3 मीटर से 9 मीटर तक है। दक्षिण दिशा में इमारतों की सामान्य ऊंचाई लगभग 3 मीटर से 7 मीटर तक है। संरक्षित संस्मारक की पूर्व दिशा में कोई इमारत मौजूद नहीं है। पश्चिम दिशा में इमारतों की सामान्य ऊंचाई लगभग 3 मीटर से 9 मीटर तक है और कुछ इमारतों की ऊंचाई लगभग 12 मीटर से 15 मीटर तक है।

### 5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

उत्तर-पश्चिम दिशा में विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थित अकबरी सराय नामक एक राज्य संरक्षित स्मारक है, जो पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय महत्व का एक और संस्मारक है, जिसका नाम हम्माम खाना, चौक मोहल्ला है जो बुरहानपुर के किले में स्थित महल के करीब है।

### 5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

संरक्षित संस्मारक में शौचालय, पीने का पानी, टिकट काउंटर, सार्वजनिक फर्नीचर और व्याख्या केंद्र जैसी सार्वजनिक सुविधाएं मौजूद हैं। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

### 5.2.8 संस्मारक तक पहुंच:

संरक्षित संस्मारक के पश्चिम में स्थित एक सड़क जिसे किला रोड के नाम से जाना जाता, के माध्यम से पहुँच सुगम है। यह एक पक्की सड़क है जो लगभग 6 मीटर चौड़ी है। यह सड़क संरक्षित संस्मारक को शहर से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण परिवहन कड़ी के रूप में काम करती है। किला रोड आगे लोहार मंडी रोड से जुड़ती है जो शहर के केंद्र को राज्य राजमार्ग 27 से जोड़ती है। अंडा बाज़ार क्षेत्र में और उत्तर-पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में अन्य प्रमुख सड़कें तथा संकरी गलियाँ हैं जो आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों तक पहुँचने की सुविधा प्रदान करती हैं और साथ ही बस्ती के आंतरिक भागों से संपर्क प्रदान करती हैं।

### 5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

संरक्षित संस्मारक के प्रवेश द्वार पर आगंतुकों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी और सीवर लाइनें मौजूद हैं।

### 5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र की प्रस्तावित ज़ोनिंग:

बुरहानपुर विकास योजना, 2021 में बुरहानपुर के संपूर्ण नियोजन क्षेत्र को 9 निवेश इकाइयों में विभाजित किया गया है ताकि उनकी स्वतंत्र कार्यक्षमता, विशेष रूप से कार्य केंद्रों, वाणिज्यिक गतिविधियों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में सुनिश्चित की जा सके। संस्मारक और आसपास का क्षेत्र **नियोजन इकाई सीमा (1)** के अंतर्गत आता है। **अनुलग्नक-III (ख)** देखें।

## अध्याय 6

## संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

### 6.1 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

**वास्तुकला महत्व:**

किले में स्थित महल बुरहानपुर की विरासत की वास्तुकला उत्कृष्टता और सांस्कृतिक एकीकरण का एक स्थायी प्रतीक है। महल के आन्तरिक हिस्सों में विस्तृत भित्तिचित्र, जटिल छत डिजाइन और बारीक नक्काशीदार पत्थर का काम है, जो उस काल की कलात्मक शिल्प कौशल के उच्च स्तर को दर्शाता है। महल में फारुकी शासकों और मुगलों की स्थापत्य शैली के तत्व और विशेषताएं शामिल हैं। मुगल परिवर्धन के खंडहरों में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास और मौजूदा शाही हम्माम शामिल हैं, जो बुरहानपुर में मुगल वास्तुकला के सबसे अच्छे संरक्षित उदाहरणों में से एक है। शाही हम्माम के प्रवेश कक्ष में फ़ारसी शैली का जटिल प्लास्टरवर्क, समृद्ध अलंकरण के साथ मुखाग्र मेहराब दिखाई देते हैं। किले में स्थित महल में ऊंची दीवारें, बुर्ज और रणनीतिक प्रवेश द्वार जैसे रक्षात्मक तत्व शामिल हैं, जो निवास और गढ़ के रूप में इसके दोहरे उद्देश्य को दर्शाते हैं। यह प्रभुत्व और शासन के स्थापत्य इतिहास की पुष्टि करता है।

**ऐतिहासिक महत्व:**

बुरहानपुर के किले में स्थित महल का ऐतिहासिक महत्व इसके रणनीतिक महत्व, प्रशासनिक भूमिका, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव, आर्थिक योगदान और स्थापत्य विरासत में निहित है। फारुकी शासकों द्वारा निर्मित, यह शहर के सबसे रणनीतिक स्थान पर स्थित है, जो एक मजबूत किलेबंदी दीवार से घिरा है, जिसे बुर्जों द्वारा मजबूत किया गया है। इसने क्षेत्र के नियंत्रण और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संरक्षित संस्मारक मुगलों के लिए डेक्कन पठार, जो महत्वपूर्ण सैन्य और आर्थिक हित का क्षेत्र था, तक पहुँच को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में काम करता था। किले में स्थित महल मुगल साम्राज्य की ताकत, शासन और सांस्कृतिक उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो मुगल काल के दौरान क्षेत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक आख्यान को दर्शाता है। संरक्षित संस्मारक का विशेष महत्व है क्योंकि इसका सम्राट शाहजहाँ द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग और विस्तार किया गया था।

### 6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

बुरहानपुर के विस्तारित शहरी परिदृश्य के कारण संरक्षित संस्मारक के आसपास अतिक्रमण एक बडा जोखिम है। संरक्षित संस्मारक उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में आधुनिक निर्माणों से घिरा हुआ है। संरक्षित संस्मारक से ताप्ती नदी और उसके पूर्वी तट की ओर विस्तृत परिदृश्य के दृश्य इसके ऐतिहासिक संदर्भ और अवस्थिति के अभिन्न अंग हैं। बढ़ते शहरीकरण और विकास के दबाव से इस ऐतिहासिक परिदृश्य के बदलने का खतरा है, जो संभावित रूप से संरक्षित संस्मारक के ऐतिहासिक माहौल और इसके सांस्कृतिक महत्व को कम कर सकता है।

## 6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित संस्मारक शहरी परिदृश्य से घिरा हुआ है, जिसमें उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में आधुनिक निर्माण शामिल हैं, जिसमें उत्तर में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। संरक्षित संस्मारक ताप्ती नदी और उसके पूर्वी तट की ओर विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करता है। ये दृश्य संरक्षित संस्मारक के ऐतिहासिक संदर्भ और अवस्थिति के अभिन्न अंग हैं। संस्मारक की ऊँची स्थिति होने से पूर्व की ओर आसपास के परिदृश्य के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं।

संरक्षित संस्मारक अपनी ऊँची स्थिति के कारण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की पूर्वी दिशा से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो महल के पूर्व की ओर का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। खुली भूमि की उपस्थिति के कारण ताप्ती नदी के पूर्वी तट से संरक्षित संस्मारक के दृश्य विस्तृत हैं। नदी स्वयं एक प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करती है, जिससे इसके किनारों से संरक्षित संस्मारक की दृश्यता बनी रहती है। हालाँकि, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र से संरक्षित संस्मारक के दृश्य और दृश्यता घने शहरी विकास द्वारा काफी हद तक बाधित हैं। जबकि कुछ सुविधाजनक बिंदुओं से आंशिक दृश्य संभव हैं, लेकिन समग्र दृश्यता आसपास के आवासीय, मिश्रित-उपयोग और संस्थागत भवनों के कारण बाधित है।

## 6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

बुरहानपुर विकास योजना 2021 के अनुसार, शहर की पूरी पुरानी बस्ती बुरहानपुर शहर की प्राचीन किले की दीवार के भीतर आती है। इस कारण बस्ती घनी है और सड़कें संकरी हैं। इस क्षेत्र में आवासीय भवनों में काम करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के साथ-साथ पावरलूम के कारण पर्यावरण और यातायात संबंधी समस्याएं होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, बुरहानपुर विकास योजना 2021 के अनुसार, किले की दीवार के अंदर का पूरा क्षेत्र मध्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। *मध्य क्षेत्र* (मध्य क्षेत्र) का मौजूदा भूमि उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग है। **अनुलग्नक-III (क)** देखें।

## 6.5 संरक्षित संस्मारक के अलावा पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में कोई ज्ञात पुरातात्विक विरासत अवशेष मौजूद नहीं हैं।

## 6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर सदियों पुरानी स्वदेशी योजना और डिजाइन द्वारा आकार लिए गए एक समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य को उजागर करता है। यह जटिल ढांचा शहर के परिदृश्य के भीतर सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता से बना है। सड़क की चौड़ाई, इमारत की ऊँचाई, दिशा, खुले स्थान, भूमि उपयोग के रूप और समग्र विन्यास जैसे कारक जलवायु संबंधी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए जटिल रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। किले में स्थित महल के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर, कुछ भौतिक और सामाजिक तत्व बुरहानपुर के व्यापक सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान करते हैं। किले में स्थित महल के आसपास का क्षेत्र विस्तारित समूह का हिस्सा है, जिसमें अकबरी सराय, हम्माम खाना और

अहुखाना जैसे कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संस्मारक शामिल हैं; विभिन्न धार्मिक संरचनाएँ; बाज़ार; खुले स्थान; ताप्ती नदी के किनारे और पूरे शहर में मौजूद पारंपरिक वास्तुकला के उदाहरण, शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य के अभिन्न अंग हैं जो शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। बुरहानपुर का सांस्कृतिक परिदृश्य इन घटकों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का उदाहरण है, जो इसकी समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक पहचान में योगदान करते हैं।

## 6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और संस्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

संरक्षित संस्मारक ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। संस्मारक नदी और उसके पूर्वी तट पर फैली खुली भूमि के ऊपर से दिखाई देता है। ताप्ती नदी आसपास के परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। नदी के किनारे हरे-भरे खुले स्थान एक अच्छा वातावरण बनाते हैं और नदी बेसिन की वनस्पति और जीव पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षित संस्मारक की रक्षा करने में योगदान करते हैं।

## 6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में संरक्षित संस्मारक के आसपास के खुले स्थानों में उद्यान, प्रांगण, सार्वजनिक और मनोरंजक स्थान, शैक्षिक और संस्थागत स्थान, प्राकृतिक और दर्शनीय क्षेत्र तथा ऐतिहासिक खुले स्थान शामिल हैं। क्वाडेरिया विज्ञान, कला और वाणिज्य महाविद्यालय और उत्तर में हकीमिया स्कूल में इमारतों के बीच में मैदान और उद्यान हैं। दक्षिण-पूर्व दिशा में ताप्ती नदी के तट पर स्थित राजघाट एक खुला स्थान है जिसमें घाट (नदी के किनारे की सीढ़ियाँ), मंडप, स्मारक और मंदिर हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों के लिए स्थल के रूप में काम करते हैं। संरक्षित संस्मारक से सटे ताप्ती नदी के तट (पूर्व और पश्चिम) प्राकृतिक खुले स्थान प्रदान करते हैं जो प्राकृतिक परिदृश्य का अभिन्न अंग हैं। अकबरी सराय के रूप में ज्ञात ऐतिहासिक संरचना के अंदर का खुला स्थान वर्तमान में बुरहानपुर नगर निगम के उपकरणों, वाहनों और कचरा संग्रह करने की  हाथ ट्रॉलियों को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। अकबरी सराय के सामने एक खुला क्षेत्र पंपिंग स्टेशन के रूप में उपयोग किया जाता है जिसकी चारदीवारी पर स्थानीय लोगों द्वारा पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग के लिए अतिक्रमण किया गया है। ऐसे खुले स्थान हैं जो बस्ती के पैटर्न के स्थानिक विन्यास के कारण स्वाभाविक रूप से बने हैं या धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण संरचनाओं जैसे कि मजार, मस्जिद, दरगाह या मंदिर/तीर्थस्थल से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र दोनों के भीतर खाली भूखंड और वह भूमि जिस पर निर्माण नहीं हुआ है, हैं। ये खुले स्थान भविष्य में विकास या खुले हरित क्षेत्रों के रूप में संरक्षण की संभावना प्रदान करते हैं।

## 6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

संरक्षित संस्मारक पर कोई पारंपरिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गतिविधियाँ नहीं होती हैं। हालाँकि, शिवरात्रि और नाग पंचमी जैसे त्यौहारों पर स्थानीय लोगों द्वारा प्रतिषिद्ध क्षेत्र में संरक्षित संस्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित दो मंदिरों में मेला (धार्मिक मेला) आयोजित किया जाता है।

## 6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संरक्षित संस्मारक से दिखाई देने वाला क्षितिज एक विविध शहरी परिदृश्य पेश करता है, जिसमें ताप्ती नदी और उसके पूर्वी तट की ओर मनोरम दृश्य दिखाई देता है। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में क्षितिज पर प्रमुख रूप से आवासीय और वाणिज्यिक भवनों का मिश्रण है, साथ ही उत्तर में शैक्षणिक संस्थान भी हैं। संरक्षित संस्मारक की ऊँचाई एक मंजिला आवासों से लेकर बहुमंजिला इमारतों तक इन संरचनाओं की विभिन्न ऊंचाइयों का स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है। ताप्ती नदी पूर्वी क्षितिज में एक प्राकृतिक तत्व जोड़ती है, जो अन्य दिशाओं में घने शहरी विकास के विपरीत है। ऐतिहासिक और आधुनिक तत्वों का यह मेल एक गतिशील और बहुआयामी क्षितिज बनाता है, जो संरक्षित संस्मारक की अवस्थिति और ऐतिहासिक संदर्भ का अभिन्न अंग है।

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की पूर्वी दिशा से क्षितिज में महल का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। हालांकि, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र से संरक्षित संस्मारक के दृश्य और दृश्यता घने शहरी विकास के कारण काफी बाधित हैं, जबकि आसपास के क्षेत्र के कुछ सुविधाजनक स्थानों से आंशिक दृश्य ही संभव है।

## 6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कई संरचनाएं मौजूद हैं। आवासीय संरचनाएं क्षेत्र की पारंपरिक स्थापत्य पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें कुछ घर ऐतिहासिक विशेषता को बनाए रखते हैं। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे बुरहानपुर में पारंपरिक घरों की वास्तुकला स्थानीय संदर्भ में सदियों से संचित ज्ञान को दर्शाती है।

बुरहानपुर शहर की स्थापत्य शैली फारुकी, मुगलों और मराठों जैसे विभिन्न शासकों द्वारा शासित होने के कारण शहर के इतिहास में विशिष्ट है। आमतौर पर, पारंपरिक आवासों की स्थानीय व्यवस्था, आंगन वाले घर की टाइपोलॉजी का पालन करती है, जो प्रचलित जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखती है। पारंपरिक आवासों में लकड़ी के अग्रभाग होते हैं, जिनमें खिड़कियों को सूर्य की तेज रोशनी को रोकने और प्राकृतिक वेंटिलेशन की सुविधा के लिए बनाया जाता है। सड़क के किनारे की ओर लकड़ी की बालकनी और बरामदे आम वास्तुशिल्प तत्व हैं।

## 6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना:

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा तैयार बुरहानपुर विकास योजना 2021 देखी जा सकती है।

## 6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

संरक्षित संस्मारक - मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में स्थित महल राष्ट्रीय महत्व के एक अन्य संस्मारक के करीब स्थित है, जिसे हम्माम खाना, चौक मोहल्ला, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसलिए इन दो संस्मारकों का विनियमित क्षेत्र ओवरलैप होता है। इसलिए इन संरक्षित संस्मारकों की उप-विधियों को एक दूसरे के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए। निर्माण के एक स्थल के एक संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र और दूसरे संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में एक साथ पड़ने की स्थिति में, निर्माण के स्थल को केवल प्रतिषिद्ध क्षेत्र में पड़ने वाला माना

जाएगा और भवन संबंधी मापदंड तदनुसार लागू होंगे। इसके अलावा, यदि निर्माण का एक स्थल दो अलग-अलग संस्मारकों के विनियमित क्षेत्र में आता है, तो संस्मारक पर प्रस्तावित निर्माण के कारण संभावित प्रतिकूल प्रभाव, जो निर्माण स्थल के करीब है, को वरीयता दी जाएगी।

### 6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

### 6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी कि क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना

संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

### 6.13.3 नया निर्माण:

#### 6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### 6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, जब भी संशोधित किया जाएगा, के तहत परिभाषित बुरहानपुर विकास योजना, 2021 और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984, संशोधित 2012 में निर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम लागू होंगे। हालांकि, इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट ऊंचाई और अन्य मापदंड संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

1. **स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं, आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:**

   नए निर्माण या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **15.00 मीटर** से अधिक नहीं होगी (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना या छत पर कोई अन्य सेवाएं आदि सहित)।

   बेसमेंट के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. **उपयोग:**

   i. भवन का उपयोग बुरहानपुर विकास योजना 2021 के अनुसार होना चाहिए।

   ii. आसपास की कम घनत्व वाली आवासीय विशेषता को बनाए रखा जाना चाहिए।

   iii. ताप्ती नदी के पूर्वी तट के साथ खुली कृषि भूमि को बरकरार रखा जाना चाहिए।

3. **अग्रभाग डिजाइन:**

   i. किसी भी नए निर्माण का अग्रभाग डिजाइन प्रकृति में न्यूनतम होना चाहिए, ताकि यह संरक्षित संस्मारक और आसपास के क्षेत्र की समग्र विशेषता पर हावी न हो। अग्रभाग का डिजाइन सूक्ष्म होना चाहिए और मिट्टी के रंगों में प्लास्टर और पेंट किया जाना चाहिए।

ii. बाहरी अग्रभाग पर बाहरी सजावट के लिए एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लेमिनेट (एचपीएल) और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसी अंतर्वेधी सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. धरोहर भवनों की भविष्य में विशेषता (पदचिह्न और अग्रभाग) बनाए रखनी चाहिए। धरोहर संरचनाओं में किसी भी बाहरी परिवर्धन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

iv. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में मौजूद सभी ऐतिहासिक संरचनाओं के अग्रभागों को संरक्षित और बहाल किया जाना चाहिए।

**4. छत का डिज़ाइन:**

समतल छत डिजाइन का पालन किया जाना चाहिए। इमारत की छत पर एल्युमिनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। पानी की टंकियों को ईंट की दीवारों का उपयोग करके ढ़का जाना चाहिए।

**5. निर्माण सामग्री:**

i. संस्मारक के सभी सड़क के अग्रभाग पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए। बाहरी सजावट के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे एल्युमीनियम क्लैडिंग, कांच की ईंटें और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

ii. ईंट, पत्थर और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है जो संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र की विरासत विशेषता के लिए अंतर्वेधी न हो।

**6. रंग:**

बाहरी रंग तटस्थ स्वर का होना चाहिए तथा संरक्षित संस्मारक के अनुरूप होना चाहिए, जैसे कि बफ सैंडस्टोन रंग, बेज तथा अन्य मिट्टी के रंग, जो संरक्षित संस्मारक तथा उसके आसपास के वातावरण के साथ तीव्र विरोधाभास उत्पन्न न करें।

**7. अन्य विनियम:**

मेट्रो (भूमिगत या ओवरहेड), फुट-ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग या ऐसी किसी भी परियोजना जैसे किसी भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अधीन होगा।

### 6.14 आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन:

व्यवहार्यता के अनुसार आगंतुक सुविधाओं और प्रसाधनों पर विचार किया जा सकता है।

# अध्याय 7

# स्थल विशिष्ट सिफारिशें

## 7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशें:

i. संरक्षित संस्मारक के आसपास के प्राकृतिक परिदृश्य को किसी भी निर्माण या भूमि की कटाई-भराई की अनुमति दिए बिना सभी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए।

ii. ताप्ती नदी बेसिन के वनस्पति और जीव संस्मारक की अवस्थिति का एक अभिन्न अंग हैं। इन्हें नदी को संरक्षित करके संरक्षित किया जा सकता है।

iii. ताप्ती नदी के पास तथा प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के खुले स्थानों में कचरे को डंप करने या जलाने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iv. संरक्षित संस्मारक के आसपास अतिक्रमण को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

v. संरक्षित संस्मारक या इसके आसपास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल संकेत, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग संकेतकों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

vi. संरक्षित संस्मारक के पास, विशेष रूप से संस्मारक की दीवारों पर होर्डिंग, बिल-बोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

vii. संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में आवागमन के लिए पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संस्मारक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

viii. वर्षा जल संचयन जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

## 7.2 अन्य सिफारिशें:

i. जब भी मास्टर प्लान, जोनल प्लान या विकास योजना तैयार की जाए या उसमें संशोधन किया जाए, तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों और उनके प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

ii. क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

iii. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF CULTURE**
**NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY**

---

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-Laws for the Protected Monument **"The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh"** prepared by the Competent Authority and in consultation with Vastu Kala Academy, New Delhi, were published on 21.12.2021 as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members ofAuthority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public.

The objections/suggestions, received before the specified date, have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely: -

## Heritage Bye-Laws for "The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh"

### CHAPTER 1

### PRELIMINARY

**1.1 Short title, Extent and Commencements:**

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage bye-laws 2025 of the Protected Monument **"The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh"**

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

## 1.2 Definitions:-

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, the definitions as given in the Act or the rules made thereunder have been reproduced hereunder for the sake of convenience:-

   (a) "Ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes: -

   (i) the remains of an ancient monument,

   (ii) the site of an ancient monument,

   (iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

   (iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

   (b) "Archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

   (i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

   (ii) the means of access to, and convenient inspection of the area;

   (c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended;

   (d) "Archaeological officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

   (e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act;

   (f) "Competent authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

   Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) Government" means the Government of India;

(i) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(j) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(m) "Protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(n) "Protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "Regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B of this Act;

(p) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(q) "Repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made thereunder.

# CHAPTER 2

## Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains(AMASR) Act, 1958, as amended

### 2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monuments. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

### 2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws:

Section 20E of Act, 1958, as amended and Rule 22 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for the Protected Monuments. The Rule provides parametres for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

### 2.3 Rights and Responsibilities of the Applicant:

Section 20C of AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16$^{th}$ June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of the Director General, ASI and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, may make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

# CHAPTER 3

## Location and Setting of the Protected Monument – The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh

### 3.1 Location and Setting of the Monument:

The Palace Situated in the Fort at Burhanpur is a Protected Monument situated on the West bank of Tapti River in the city of Burhanpur.

The geographical coordinates are: **Latitude:** 21°18'28" N, **Longitude:** 76°14'12" E.

The Protected Monument, situated along the banks of Tapti River, is a significant historical and architectural landmark in Burhanpur. It is surrounded by robust defensive walls and encompasses a large area with multiple structures of historical importance. The palace is strategically elevated, providing commanding view of the surrounding landscape including the Tapti River. The Protected Monument is set amidst the lush gardens and open spaces within the fort complex which includes the charbagh garden typology of the Mughals. In the vicinity of the Protected Monument there are dense residential areas with a mix of traditional and modern houses showcasing the evolving urban landscape of Burhanpur. These areas also include mixed use typology, combining residential with commercial along with some institutional buildings.

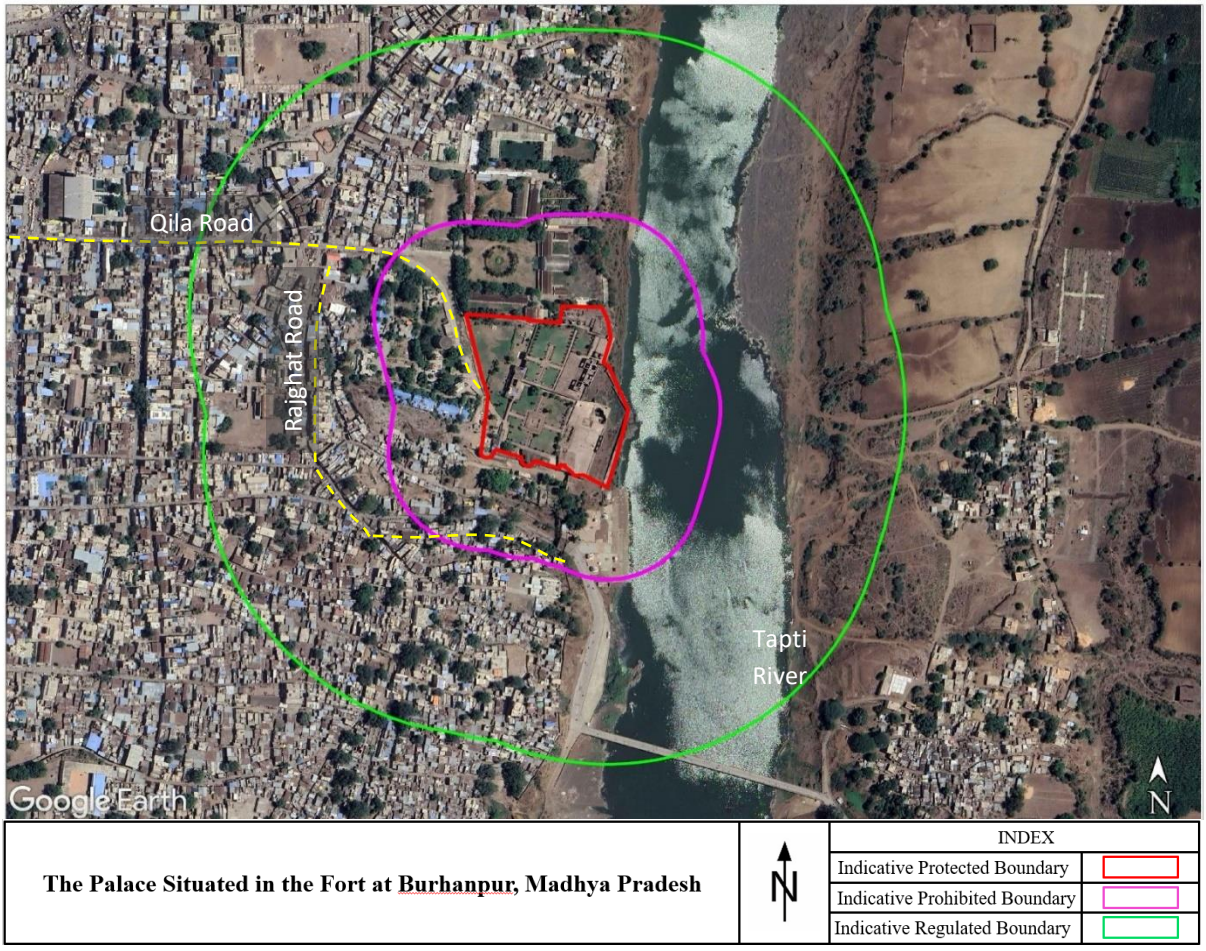


**Figure 1: Satellite image showing the location of The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh**

In the South-East direction along the banks of Tapti River is the Rajghat area which features architectural elements such as ghats (riverfront steps), pavilions, memorials and temples. Rajghat holds significant cultural and spiritual importance in Burhanpur, serving as a venue for religious rituals and ceremonies. In close proximity to the Protected Monument, another Monument of National Importance, known as The Hammam Khana, Chowk Mohalla, Burhanpur is located to the North-West. Towards the East of The Hammam Khana stands the historic structure known as Akbari Sarai.

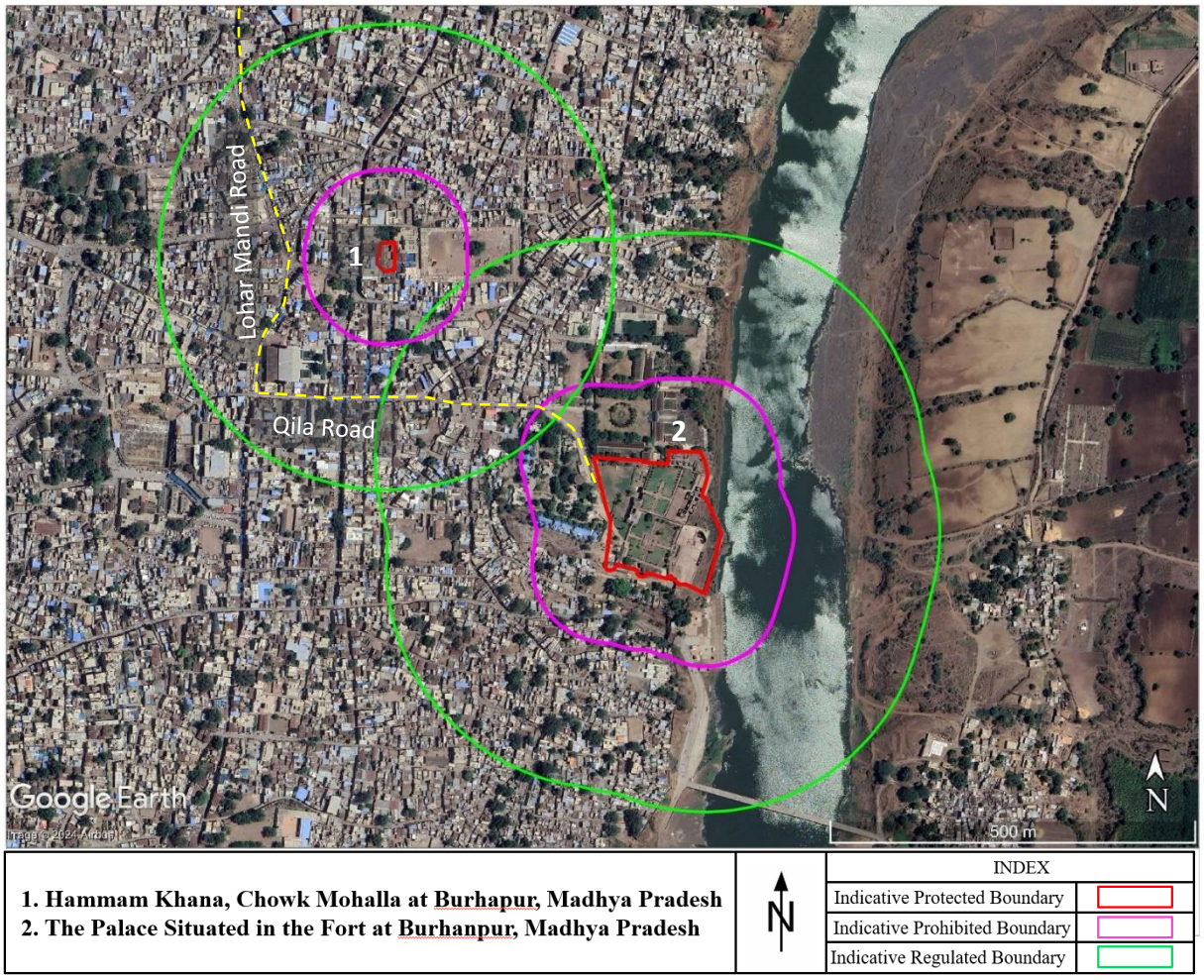


**Figure 2: Satellite image showing the location of another Protected Monument sharing its boundaries with The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh**

The Protected Monument has direct connectivity to the Lohar Mandi Road which further connects to the State Highway to the North. The nearest railway station is the Burhanpur Railway Station situated 6.1 kilometres away from the Protected Monument. The nearest airport, Devi Ahilyabai Holkar International Airport in Indore, is approximately 186 kilometres away via Khandwa - Indore Road (SH 27), providing connectivity to various cities and major urban centers in the country.

Burhanpur today features a plethora of historical monuments ranging from forts, mosques, tombs, dargahs, mazaars, temples, gurudwaras, hamams, sarais and other public buildings. In addition, heavily adorned residences of Gujarati, Marathi and Rajasthani trading communities are also present in the old localities of the city. Significance of the built heritage of Burhanpur is evident from the concentration of

eight Monuments of Historical Importance within 1.2 km radius of the city center. These include Dome of Shah Nawaz Khan, Dome of Adil Faruki and Tomb of Nadir Shah, Tomb of Shah Shuja, Churiwalon ki Masjid, Bibi Sahib's Masjid, Hammam Khana at Chowk Mohalla, Palace situated in the Fort and Ahukhana site and the compound wall and the pavilion and tank.

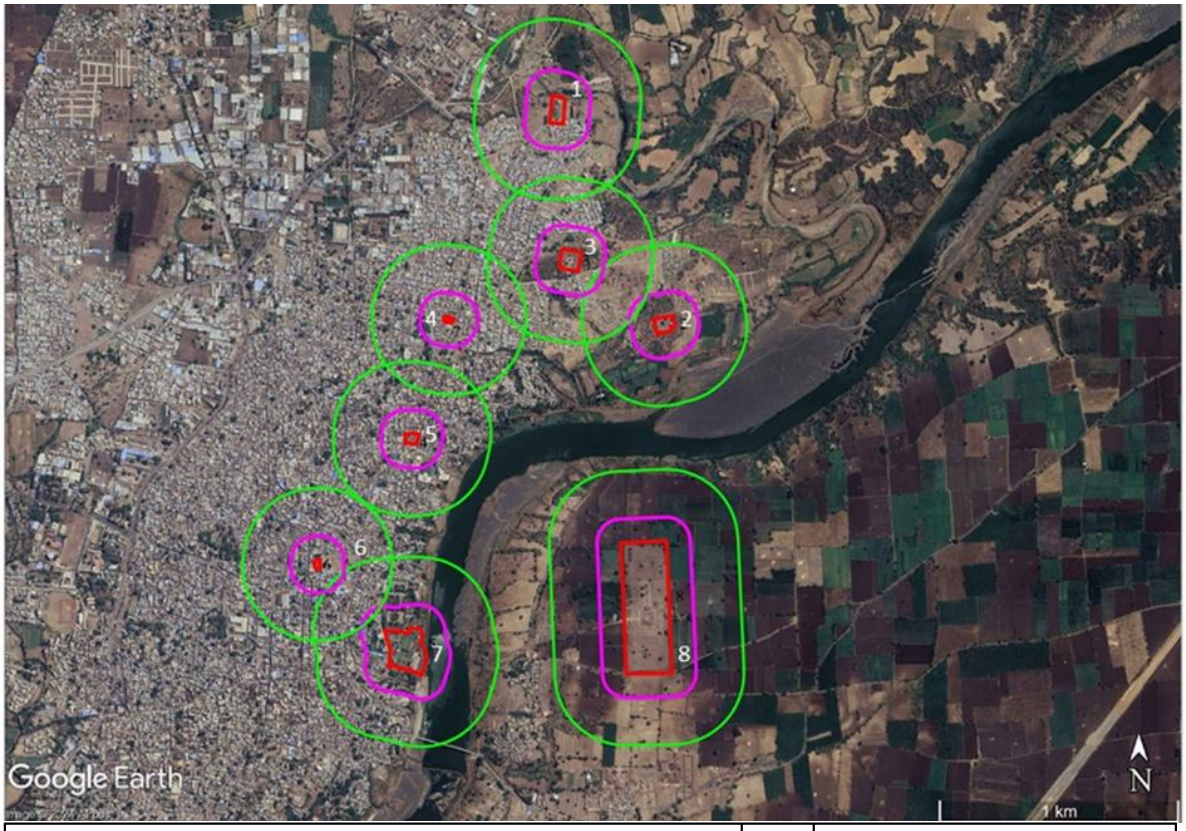


| | | |
|---|---|---|
| 1. Dome of Shah Nawaz Khan 2. Dome of Adil Faruki and Tomb of Nadir Shah<br>3. Tomb of Shah Shuja 4. Churiwalonki Masjid 5. Bibi Sahib's Masjid<br>6. Hammam Khana, Chowk Mohalla 7. The Palace Situated in the Fort<br>8. Ahukhana site and the compound wall and the pavilion and tank | N | INDEX<br>Indicative Protected Boundary<br>Indicative Prohibited Boundary<br>Indicative Regulated Boundary |

**Figure 3: Satellite image showing the location of the cluster of the Protected Monuments in Burhanpur, Madhya Pradesh**

## 3.2 Protected boundary of the Monument:

The Protected Boundary of this Protected Monument-The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-I**.

### 3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification of The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-II**.

## 3.3 History of the Monument:

The Palace Situated in the Fort is one of the majestic monuments of the city. Originally constructed by the Faruqi rulers around 1500 CE, it was later conquered and inhabited by the Mughal Emperor Shah Jahan during his tenure as the governor of Burhanpur. It is believed that Shah Jahan not only resided in the palace but also was very fond of it. Notably, the Emperor's beloved wife, Mumtaz Mahal, passed away in this palace while giving birth to her 14$^{th}$ child in June 1631 CE.

## 3.4 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The palace is divided into two main sections: Diwan-e-Aam and Diwan-e-Khaas. Additionally, the premises include other structures such as the Asthabal, a Minar with a smaller construction, water fountains, gardens, old cannons, an entrance gate, and several rooms at the entrance. The remarkable art of sculpture and exquisite carvings by 16$^{th}$ century artisans are still visible on the remaining structures. The palace's ceilings and walls are adorned with paintings, some of which were renovated in the early 2000s. The frescoes reveal an exquisite palette, including an image depicting a domed structure with minarets, which is believed to have inspired the design of the Taj Mahal. The main attraction of this palace is the Shahi Hamam or royal bath used by Begum Mumtaz Mahal. Designed in Mughal-Iranian style, the Hamam is a rectangular hall made of marble with domed roofs, beautifully decorated with multi-colored paintings on honeycomb work. An octagonal bathing pool stands in the center of the hall, once filled with perfumed water, saffron, and rose petals for Mumtaz Mahal's royal bath.

## 3.5 Current Status:

### 3.5.1 Condition of Monument-condition assessment:

The maintenance and preservation of this Protected Monument and its Protected Area is the exclusive domain of ASI. The photographs depicting the present condition of the Protected Monument are enclosed at **Annexure-IV**.

### 3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The average number of people visiting the Protected Monument is approximately 100-125 per day. Occasionally the number goes up to approximately 250-300 visitors per day.

# CHAPTER 4

## Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans

### 4.1 Existing Zoning:

In the Burhanpur Development Plan 2021 the entire planning area of Burhanpur has been divided into 9 investment units to ensure their independent functionality, particularly concerning work centers, commercial activities, education, and healthcare facilities. The Protected Monument and the surrounding area come under **Planning Unit Boundary (1)**. Refer **Annexure-III (a)**.

The Burhanpur Development Plan 2021 mentions The Palace Situated in the Fort at Burhanpur as one of the sites of archaeological and historical importance in the city. It is proposed to nurture, promote and conserve the architectural identity and sensitive environment of these sites as per the Burhanpur Development Plan 2021. Refer **Annexure-III (b)**.

### 4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

The general guidelines for the construction are as per Burhanpur Development Plan 2021 and Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012 defined under the "Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973)".

# CHAPTER 5

## Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ Survey Plan of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records

### 5.1 Survey Plan of the Monument:

The Survey Plan of The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-I**.

### 5.2 Analysis of surveyed data:

#### 5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

i. Protected Area is 24,120 Sqm (5.96 Acres) approximately.

ii. Prohibited Area is 97,339 Sqm (24.05 Acres) approximately.

iii. Regulated Area is 3,80,739 Sqm (94.08 Acres) approximately.

#### 5.2.2 Description of built-up area:

i. **North:** The Prohibited Area primarily has educational institutions along with a few residences located in the North-West direction. Adjacent to the Protected Monument, educational institutions such as Quaderia Science, Arts, and Commerce College, and Hakimia School are situated along the banks of the Tapti River. The buildings of Hakimia Higher Secondary School fall within the Regulated Area. Additionally, the Regulated Area encompasses the shrine known as Ashraf Ali Baba Dargah. In the North-West direction of the Regulated Area, there are residences and shops present, along with a pumping station and a mosque known as Tana Gujri Mosque, situated in the Anda Bazar area. Furthermore, a portion of the historic Akbari Sarai structure also falls within the Regulated Area of the Protected Monument.

ii. **East:** There are no built structures present in the Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument. The Tapti River flows adjacent to the Protected Monument, with open land extending beyond the river, forming part of the East bank of the Tapti River.

iii. **South:** In the Prohibited Area, in close vicinity to the Protected Monument there is a place known as Rajghat, situated along the banks of the Tapti River in the South-East direction. It features architectural elements such as ghats (riverfront steps), pavilions, memorials and temples, serving as a venue for religious rituals and ceremonies. Additionally, there are residential buildings along the Rajghat Road, a temple, part of the old Fort Wall and a historic gate known as Rajghat Gate present in the Prohibited Area. In the Regulated

Area, there are several religious structures including dargah, mosques, temples and a gurudwara present amidst residential development. A portion of the old Fort Wall also falls within the Regulated Area, along with the Tapti Bridge which spans the river in the South-East direction.

iv. **West:** In the Prohibited Area, there are residential buildings, a few temples and an overhead tank. In the Regulated Area there are predominantly residential buildings along with some mixed-use development, especially along the Qila Road.

### 5.2.3 Description of green/open spaces:

The area around the Protected Monument is characterized by a diverse range of open spaces, including gardens, courtyards, public and recreational spaces, educational and institutional spaces, natural and scenic areas, and historic open spaces. The campuses of Quaderia Science, Arts, and Commerce College, and Hakimia School, located along the banks of the Tapti River in the Prohibited Area, include open spaces such as grounds and gardens interspersed among the buildings. The banks (East and West) of the Tapti River adjacent to the Protected Monument provide natural open spaces that are integral to the natural landscape and offer a tranquil setting. Located along the banks of the Tapti River in the South-East direction, Rajghat is an open space featuring ghats (riverfront steps), pavilions, memorials, and temples.

In the Regulated Area, in the North-West direction, a part of the historic Akbari Sarai contains an open courtyard. In close proximity to the Akbari Sarai, there is an open area used as pumping station whose boundary wall has been encroached and used as parking space by the locals. In the South direction near Rajghat, there is an open space present within the premises of the Gurudwara Sangat Patshahi. Additionally, there are vacant plots and unbuilt land within both the Prohibited and Regulated Area. These open spaces, resulting from the spatial configuration of the settlement pattern, provide potential for future development or preservation as open green areas.

### 5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.:

Throughout the Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument, a variety of roads are present which are integral to the movement and connectivity in the area, ensuring that the Protected Monument remains accessible to both locals and visitors. These include roads such as Qila Road, which provides direct access to the monument and Rajghat Road which provides access to the Rajghat area and maintains connectivity and accessibility of the Protected Monument across the Tapti River. Qila Road further connects to Lohar Mandi Road in the West which is a prominent city thoroughfare and a major road serving as a crucial link connecting the city center to State Highway 27. There are other roads and narrow lanes in the Anda Bazar area and in the North-West, South and South-West directions which facilitate access to residential and commercial areas as well as provide connectivity with the interior parts of the settlement.

### 5.2.5 Existing Heights of buildings:

The general built character of the Prohibited and Regulated Area includes buildings ranging from ground level to G+2 in height which are predominantly residential buildings along with a few mixed-use buildings. However, there are a few exceptions of buildings which are G+3 in height. The height of the buildings ranges from 3 metres to 9 metres approximately in the North direction. In the South direction the general height of the buildings ranges from 3 metres to 7 metres approximately. There are no buildings present in the East direction of the Protected Monument. In the West direction, the general height of the buildings ranges from 3 metres to 9 metres approximately with a few buildings ranging from approximately 12 metres to 15 metres in height.

### 5.2.6 State protected monument and listed heritage building by local authorities if Available within Prohibited/Regulated:

There is a State Protected Monument known as Akbari Sarai, situated within the Regulated Area in the North-West direction, which falls under the jurisdiction of the Directorate of Archaeology, Archives, and Museums, Government of Madhya Pradesh. Also, there is another Monument of National Importance, namely Hammam Khana, Chowk Mohalla which lies in close proximity to The Palace Situated in the Fort at Burhanpur.

### 5.2.7 Public amenities:

Public amenities like toilets, drinking water, ticket counter, public furniture and interpretation center are present at the Protected Monument. The Prohibited and Regulated Areas are provided with essential public amenities.

### 5.2.8 Access to the monument:

Access to is facilitated through a road situated to the West of the Protected Monument, known as Qila Road. This is a metalled road which is approximately 6 metre wide. This road serves as a crucial transportation link, connecting the Protected Monument to the city. Qila Road further connects to Lohar Mandi Road which connects the city center to State Highway 27. There are other major roads and narrow lanes in Anda Bazar area and in the North-West, South and South-West directions which facilitate access to residential and commercial areas as well as provide connectivity with the interior parts of the settlement.

### 5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid Wastemanagement, parking etc.):

Parking is available for the visitors at the entrance of the Protected Monument. There is water supply, storm water drainage and sewer lines present in the Protected, Prohibited and Regulated Area.

### 5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies:

In the Burhanpur Development Plan 2021 the entire planning area of Burhanpur has been divided into 9 investment units to ensure their independent functionality, particularly concerning work centers, commercial activities, education, and healthcare facilities. The Protected Monument and the surrounding area come under **Planning Unit Boundary (1)**. Refer **Annexure-III (b)**.

# CHAPTER 6

## Architectural, historical and archaeological value of the monument

### 6.1 Architectural, historical and archaeological value:

**Architectural Value:**

The Palace situated in the Fort stands as an enduring symbol of architectural excellence and cultural integration of Burhanpur's heritage. The palace interiors feature elaborate frescoes, intricate ceiling designs, and finely carved stonework, showcasing the high level of artistic craftsmanship of the period. The palace incorporates elements and features from the architectural styles of the Faruqi rulers and the Mughals. The ruins of the Mughal additions include Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khaas and the extant Shahi Hammam, which is one of the best-preserved examples of Mughal architecture in Burhanpur. The intricate plasterwork of Persian style, faceted vaults with rich ornamentation, is visible in the entrance chamber of the Shahi Hammam. The Palace situated in the Fort incorporates defensive elements such as high walls, bastions, and strategic gateways, reflecting its dual purpose as a residence and a stronghold. It reinforces the architectural narrative of dominance and governance.

**Historical Value:**

The historical significance of The Palace situated in the Fort in Burhanpur lies in its strategic importance, administrative role, cultural and social influence, economic contributions and architectural legacy. Built by the Faruqi Rulers, it occupies the most strategic location of the city enclosed by a strong fortification wall, strengthened by the bastions. This played a vital role in the control and administration of the region. The Protected Monument served as a key point for the Mughals to control access to the Deccan Plateau, a region of significant military and economic interest. The Palace situated in the Fort stands as a symbol of the Mughal Empire's strength, governance, and cultural achievements, reflecting the historical and political narrative of the region during the Mughal period. The Protected Monument holds particular significance as it was extensively used and expanded by Emperor Shah Jahan.

### 6.2 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, populationPressure, etc.):

There is a significant risk of encroachment around the Protected Monument due to the expanding urban landscape of Burhanpur. The Protected Monument is surrounded by modern constructions in the North, South, and West directions. The views of the expansive landscape from the Protected Monument towards the Tapti River and its East bank are integral to the its historical context and setting. Rising urbanization and development pressure threaten to transform this historical landscape, potentially detracting from the Protected Monument's historical ambiance and reducing its cultural significance.

### 6.3 Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

The Protected Monument is surrounded by an urban landscape, including modern constructions to the North, South, and West, which encompass residential and

commercial buildings as well as educational institutions to the North. The Protected Monument offers expansive views towards the Tapti River and its Eastern bank. These views are integral to the historical context and setting of the Protected Monument. The elevated position of the monument allows for panoramic views of the surrounding landscape towards the East.

The Protected Monument is clearly visible from the Eastern direction of the Prohibited and Regulated Area due to its elevated position, which provides a panoramic view of the East side of the palace. The views of the Protected Monument from the East bank of the Tapti River are expansive due to the presence of open land. The river itself acts as a natural buffer, allowing for the visibility of the Protected Monument from across its banks. However, the views and visibility of the Protected Monument from the Prohibited and Regulated Area in the North, South, and West are significantly obstructed by dense urban development. While partial views are possible from certain vantage points, the overall visibility is compromised by the surrounding residential, mixed-use and institutional buildings.

### 6.4 Land- use to be identified:

As per the Burhanpur Development Plan 2021, the entire old settlement area of the city falls within the ancient fort wall of the Burhanpur city. Due to this, the settlement is dense and the roads are narrow. The commercial activities as well as power looms working in residential buildings in this area leads to environmental and traffic related issues. Keeping this in view, as per the Burhanpur Development Plan 2021, the entire area inside the fort wall is included in the *Madhya Kshetra* (Middle Area). The existing land use of the Madhya Kshetra (Middle Area) is residential, commercial and mixed-use. Refer **Annexure-III (a)**.

### 6.5 Archaeological heritage remains other than protected monument:

No known archaeological heritage remains are present near the Protected Monument in the Prohibited and Regulated Area.

### 6.6 Cultural landscapes:

The historic city of Burhanpur unfolds a rich cultural landscape shaped by centuries of indigenous planning and design. This intricate framework stems from the city's responsiveness to both cultural and natural features within its landscape. Factors such as street width, building height, orientation, open spaces, land use forms, and overall configuration are intricately interwoven, taking climatic considerations into account. Within the Prohibited and Regulated Area of The Palace situated in the Fort, certain physical and social elements contribute to the broader cultural landscape of Burhanpur. The surrounding area of The Palace situated in the Fort is part of the extended ensemble, including various significant historic monuments including Akbari Sarai, Hammam Khana and Ahukhana; various religious structures; markets; open spaces; banks of the Tapti River and the examples of traditional architecture present all over the city, forming the integral components of the city's cultural landscape. Burhanpur's cultural landscape exemplifies a harmonious blend of these components, all contributing to its rich heritage and cultural identity.

## 6.7 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps inprotecting the monument from environmental pollution:

The Protected Monument is located on the banks of the Tapti River. The monument overlooks the river and the expansive open land on its Eastern Bank. Tapti River forms an integral part of the surrounding landscape. The banks of the river provide green open spaces and the flora and fauna of the river basin contributes in protecting the Protected Monument from environmental pollution.

## 6.8 Usage of open space and constructions:

The open spaces around the Protected Monument in the Prohibited and Regulated Area includes gardens, courtyards, public and recreational spaces, educational and institutional spaces, natural and scenic areas, and historic open spaces. In the Quaderia Science, Arts, and Commerce College, and Hakimia School in the North, there are grounds and gardens interspersed among the buildings. Located along the banks of the Tapti River in the South-East direction, Rajghat is an open space featuring ghats (riverfront steps), pavilions, memorials and temples serving as a venue for religious rituals and ceremonies. The banks (East and West) of the Tapti River adjacent to the Protected Monument provide natural open spaces that are integral to the natural landscape. The open space inside the historic structure known as Akbari Sarai is currently used for accommodating equipment, vehicles, and the garbage collector hand trolleys of the Burhanpur Municipal Corporation. An open area opposite to the Akbari Sarai is used as pumping station whose boundary wall has been encroached for use as a parking space by the locals. There are open spaces that are naturally formed due to the spatial configuration of the settlement pattern or are associated with religiously significant structures like a mazaar, mosque, dargah, or temple/shrine. Additionally, there are vacant plots and unbuilt land within both the Prohibited and Regulated Area. These open spaces provide potential for future development or preservation as open green areas.

## 6.9 Traditional, historical and cultural activities:

No traditional, cultural and historical activities are observed at the Protected Monument. However, a Mela (religious fair) is organized by the local people on festivals such as Shivratri and Naag Panchami, at two temples located near the main entrance of the Protected Monument in the Prohibited Area.

## 6.10 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The skyline, as visible from the Protected Monument features a diverse urban landscape, with the panoramic view extending towards the Tapti River and its Eastern bank. To the North, South, and West, the skyline is dominated by a mix of residential and commercial buildings, along with educational institutions to the North. The elevation of the Protected Monument provides a clear view of the varied heights of these structures, from single-storey residences to multi-storey buildings. The presence of the Tapti River adds a natural element to the Eastern skyline, contrasting with the dense urban development in other directions. This juxtaposition of historical and modern elements creates a dynamic and multifaceted skyline, integral to the Protected Monument's setting and historical context.

The skyline from the Eastern direction of the Prohibited and Regulated Area features a panoramic view of the palace. However, the views and visibility of the Protected Monument from the Prohibited and Regulated Area in the North, South, and West are significantly obstructed by dense urban development, with partial views possible from certain vantage points of the surrounding area.

## 6.11 Traditional architecture:

In the Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument, numerous historically significant structures exist. The residential structures play a pivotal role in shaping the traditional architectural identity of the area with some houses retaining a historic character. The architecture of traditional houses in Prohibited and Regulated areas, as well as throughout Burhanpur, reflects knowledge accumulated over centuries in response to the local context.

The architectural style in the city of Burhanpur is distinctive due to the city's history of being governed by various rulers like the Faruqis, Mughals and Marathas. Generally, the spatial arrangement of traditional residences adheres to the courtyard house typology, taking into account the prevalent climatic conditions. Traditional residences feature wooden façades with fenestrations strategically configured to block intense sunlight and facilitate natural ventilation. Wooden balconies and verandas projecting towards the roadside are common architectural elements.

## 6.12 Developmental plan, as available, by the local authorities:

The Burhanpur Development Plan 2021 prepared by Directorate of Town and Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal may be referred.

## 6.13 Permissible Building related parametres:

The Protected Monument – The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh is located in close vicinity to another Monument of National Importance known as Hammam Khana, Chowk Mohalla, Burhanpur, Madhya Pradesh, hence, the Regulated Area of these two monuments overlap. The bye-laws of these Protected Monuments should therefore be read in conjunction with one another. In the event of a site of construction simultaneously falling in the Prohibited Area of one Monument and the Regulated Area of another Monument, the site of construction shall be deemed to be falling in the Prohibited Area alone and the building related parameters shall be applicable accordingly. Further, if a site of construction falls in the Regulated Area of two separate Monuments, the likely adverse impact on account of the proposed construction on the Monument which is closer to the site of construction, shall be given precedence.

### 6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built area and open area relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of

buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the protected monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building material should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

### 6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C(2) of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 6 (IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Area, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the facade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

### 6.13.3 New Construction:

#### 6.13.3 A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958, as amended, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Monument.

#### 6.13.3 B Regulated Area:

All the development control norms and building regulations specified in the Burhanpur Development Plan 2021 and the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, amended 2012, defined under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, as and when amended shall be applicable, however, the height and other parametres specified in this document shall be applicable in the Regulated Area of the Protected Monument.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:**

   The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings in all Zones of the Regulated Area shall not exceed **15.00 metres** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc. or any other services on the roof).

   Construction of the basement should be discouraged.

2. **Usage:**

   i. The building use should be as per the Burhanpur Development Plan 2021.

   ii. The low-density residential character of the surroundings may be maintained.

   iii. The open agricultural land along the Eastern bank of the Tapti River should be retained.

3. **Façade design:**

   i. The façade design of any new construction should be minimalistic in nature, so that it does not overpower the Protected Monument and the overall character of the surrounding area. The façade design should be subtle, and plastered and painted in earthy colours.

   ii. Use of intrusive materials such as Aluminium Composite Panel (ACP), High Pressure Laminates (HPL) and any other synthetic material for exterior finishes on the exterior facade should be discouraged.

   iii. The heritage buildings should retain character (footprint and facade) in future. No external additions in the heritage structures, horizontal and vertical should be permitted.

   iv. The façades of all historic structures present in the Prohibited and Regulated Area should be preserved and restored.

4. **Roof design:**

   Flat roof design should be followed. Erection of Structures, even of temporary nature, using materials such as aluminium, fiber glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the building. Water tanks should be screened off using brick walls.

5. **Building material:**

   i. Consistency in building materials and colour along all street façade of the Protected Monument should be maintained. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes.

ii. Building materials like brick, stone and cement may be used non-intrusive to the heritage character of the Protected Monument and its surroundings area.

**6. Colour:**

The exterior colour should be of a neutral tone and in harmony with the Protected Monument such as buff sandstone colour, beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the Protected Monument and its immediate surroundings.

**7. Other Regulations:**

Proposal for construction of any large-scale public infrastructure project like Metro (underground or overhead), foot-over bridges, flyover, multi-level parking or any such project shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment report.

### 6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities may be considered as far as feasible.

# CHAPTER 7

## Site Specific Recommendations

### 7.1 Site Specific Recommendations:

i. The natural landscape around the Protected Monument may be protected in all respects without allowing any construction or cutting-filling of land.

ii. The flora and fauna of the Tapti River basin are an integral part of the setting of the Monument. These may be protected by preserving the river.

iii. Dumping or burning the waste near the Tapti River and in the open spaces of the Prohibited and Regulated Area to be discouraged.

iv. Encroachment around the Protected Monument should be prohibited.

v. LED or digital signs, plastic fiber glass, or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monument or its immediate surrounding areas.

vi. No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters should be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the Monument.

vii. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monument may be encouraged to mitigate adverse impact on the monument due to vehicular emissions and vibrations.

viii. Construction of green buildings including best practices like rain water harvesting should be encouraged.

### 7.2 Other recommendations:

i. Whenever the Master Plan, Zonal Plan or Development Plan is prepared and/or amended, it should clearly show all the Protected Monuments of National Importance and their Prohibited and Regulated Areas.

ii. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

iii. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts maybe referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf

## अनुलग्नक
## ANNEXURES

**अनुलग्नक-I**
**ANNEXURE–I**

### बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना
### Survey Plan of The Palace Situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh

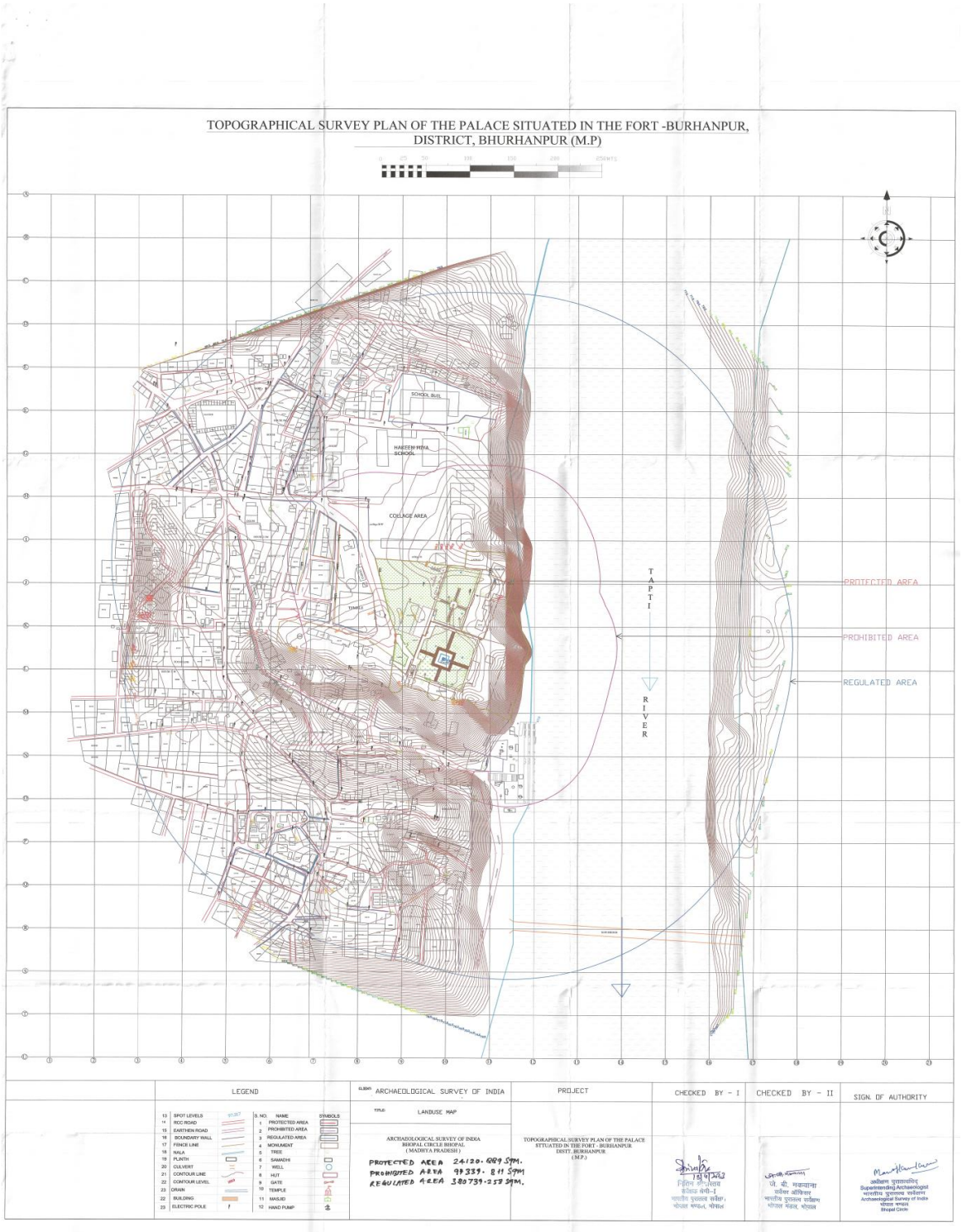

**अनुलग्नक-I (क)**
**ANNEXURE–I (a)**

**बुरहानपुर के किले में स्थित महल, मध्य प्रदेश की संरक्षित सीमा को दर्शाता अभिलेखीय मानचित्र**
**Archival Map showcasing the Protected Boundary of The Palace situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh**

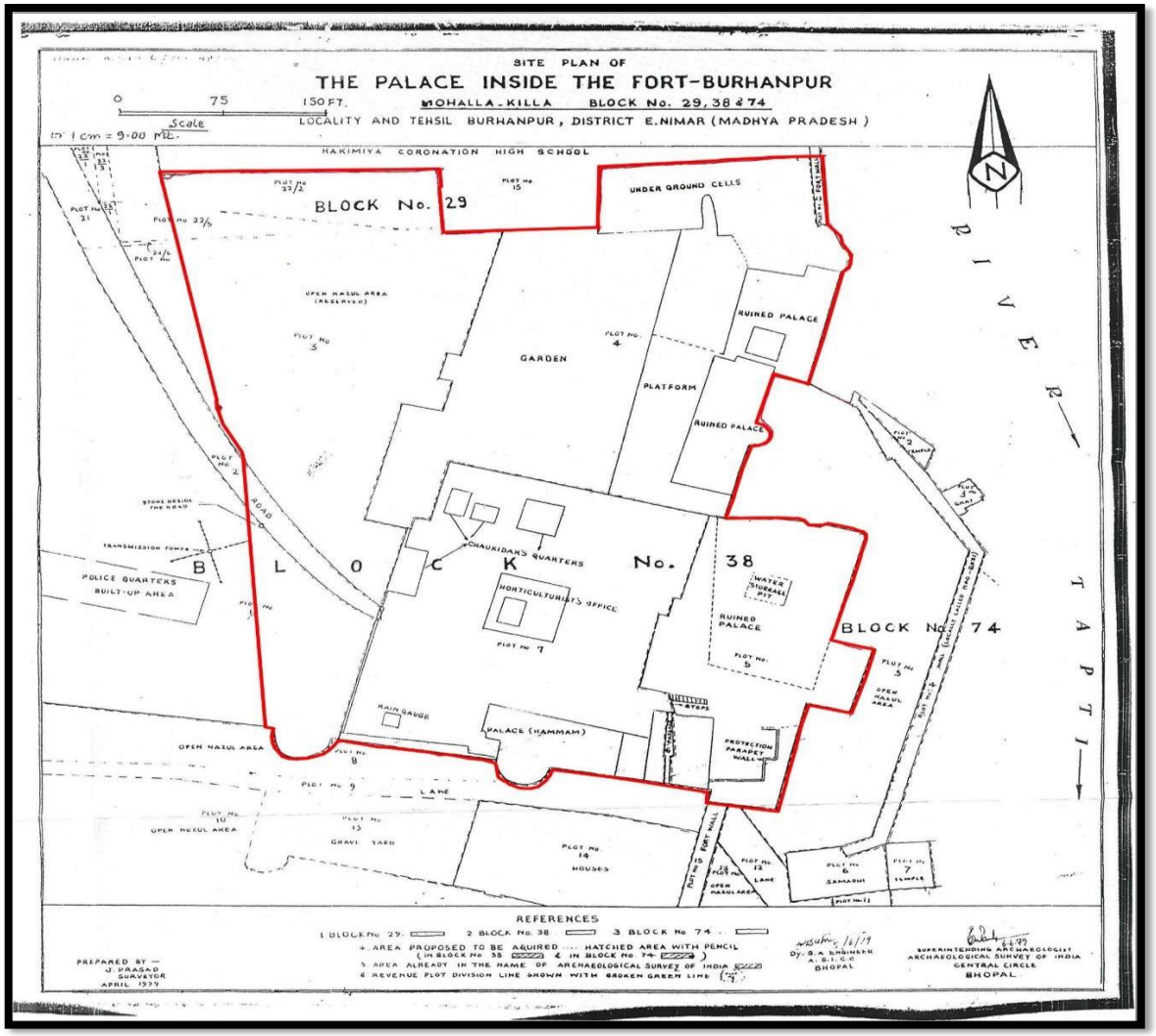

**अनुलग्नक-II**
**ANNEXURE-II**

## संस्मारक की अधिसूचना
## Notification of the Monument

## मूल अधिसूचना
## Original Notification

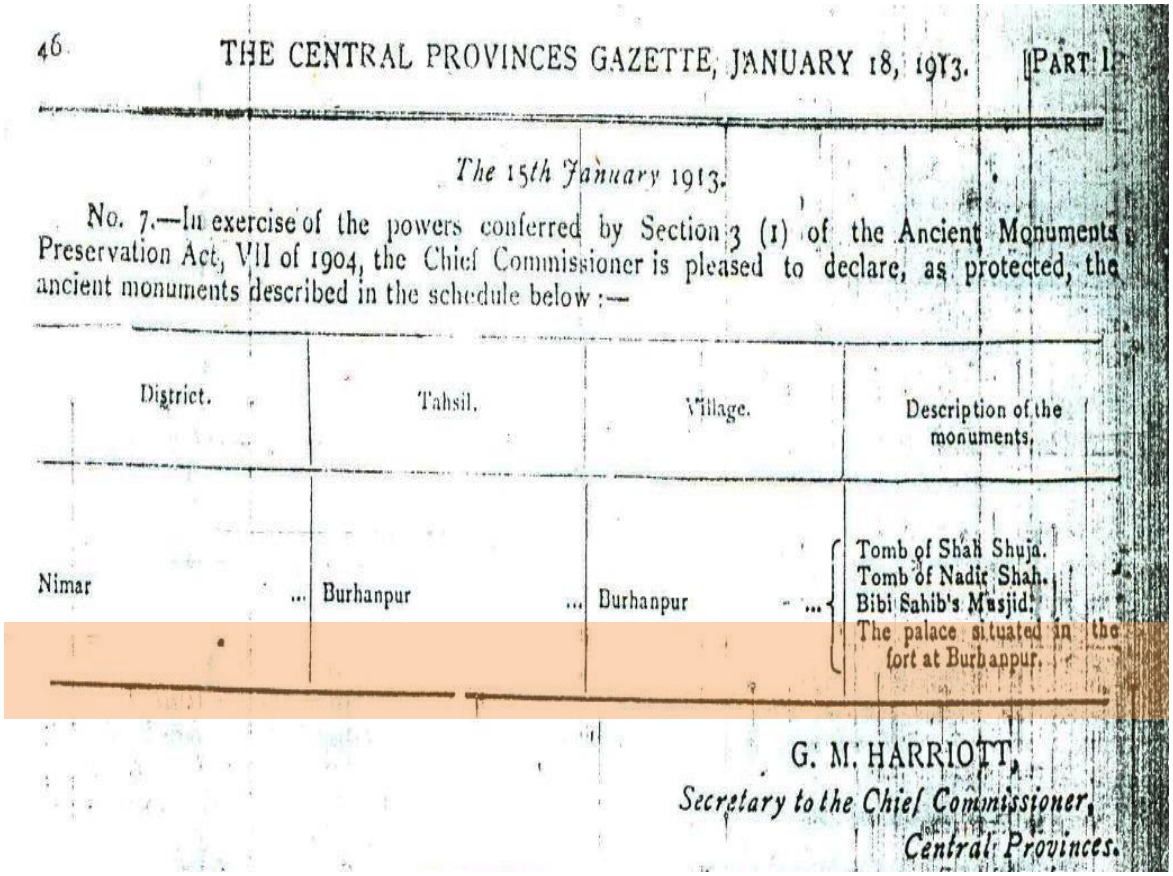

46 THE CENTRAL PROVINCES GAZETTE, JANUARY 18, 1913. [PART I.

*The 15th January 1913.*

No. 7.—In exercise of the powers conferred by Section 3 (1) of the Ancient Monuments Preservation Act, VII of 1904, the Chief Commissioner is pleased to declare, as protected, the ancient monuments described in the schedule below :—

| District. | Tahsil. | Village. | Description of the monuments. |
|---|---|---|---|
| Nimar ... | Burhanpur ... | Burhanpur ... | Tomb of Shah Shuja.<br>Tomb of Nadir Shah.<br>Bibi Sahib's Masjid.<br>The palace situated in the fort at Burhanpur. |

G. M. HARRIOTT,
*Secretary to the Chief Commissioner,*
*Central Provinces.*

## मूल अधिसूचना की टंकित प्रति
## Typed copy of Original Notification



The 15th January, 1913.

No. 7 – In exercise of the powers conferred by Section 3 (1) of the Ancient Monuments Preservation Act, VII of 1904, the Chief Commissioner is pleased to declare, as protected, the ancient monuments described in the schedule below:-

| District | Tahsil | Village | Description of the monuments |
|---|---|---|---|
| Nimar | Burhanpur | Burhanpur | Tomb of Shah Shuja.<br>Tomb of Nadir Shah<br>Bibi Sahib's Masjid.<br>The Palace situated in the fort at Burhanpur |

G.M. HARRIOTT,
Secretary to the Chief Commissioner
Central Provinces.

**अनुलग्नक-III**
**ANNEXURE–III**

## बुरहानपुर विकास योजना 2021
## Burhanpur Development Plan 2021

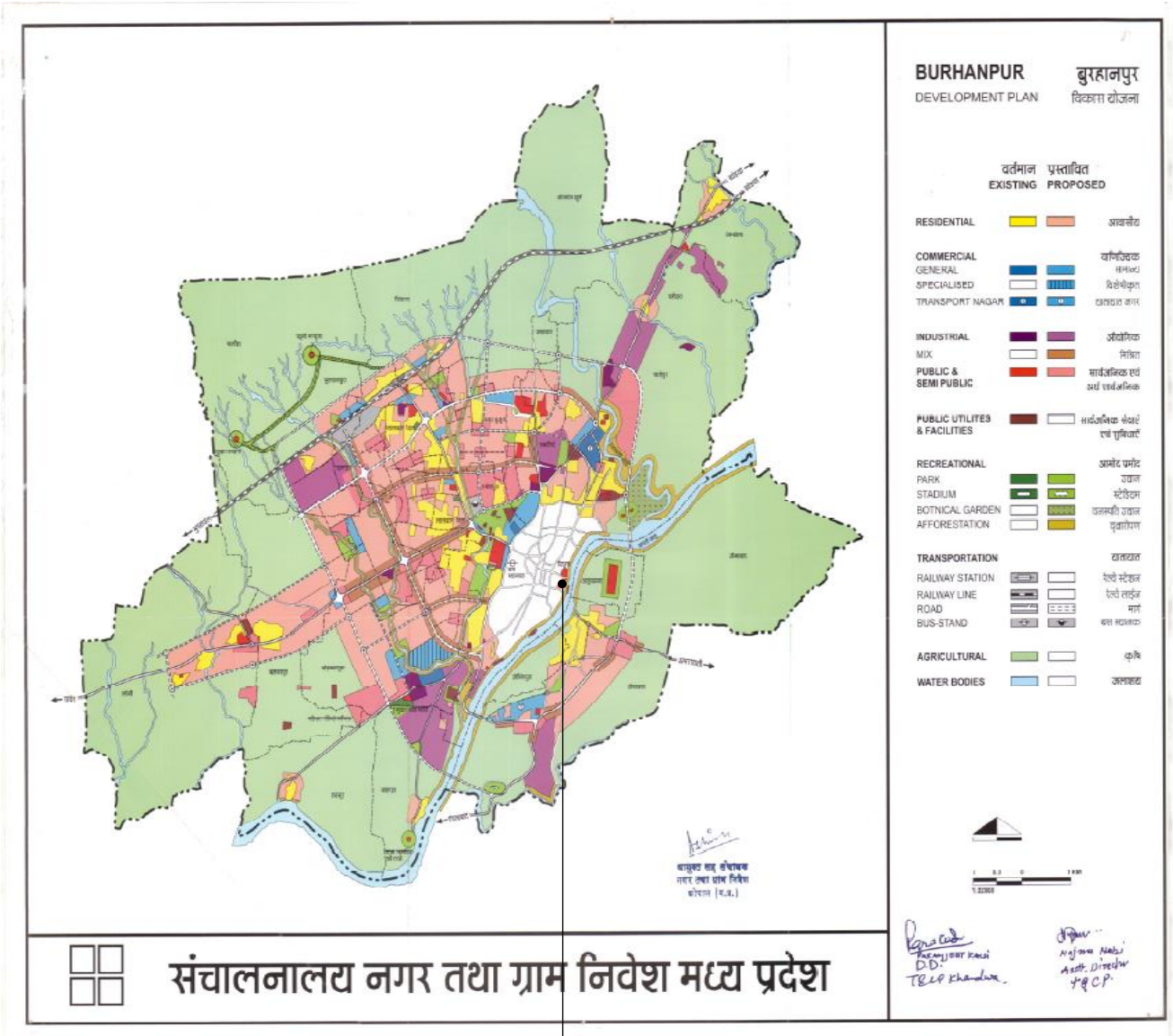


**The Palace situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh**

**अनुलग्नक-III (क)**
**ANNEXURE–III (a)**

## बुरहानपुर विकास योजना 2021-निवेश इकाई सीमा मानचित्र
## Burhanpur Development Plan 2021 - Planning Unit Boundary Map

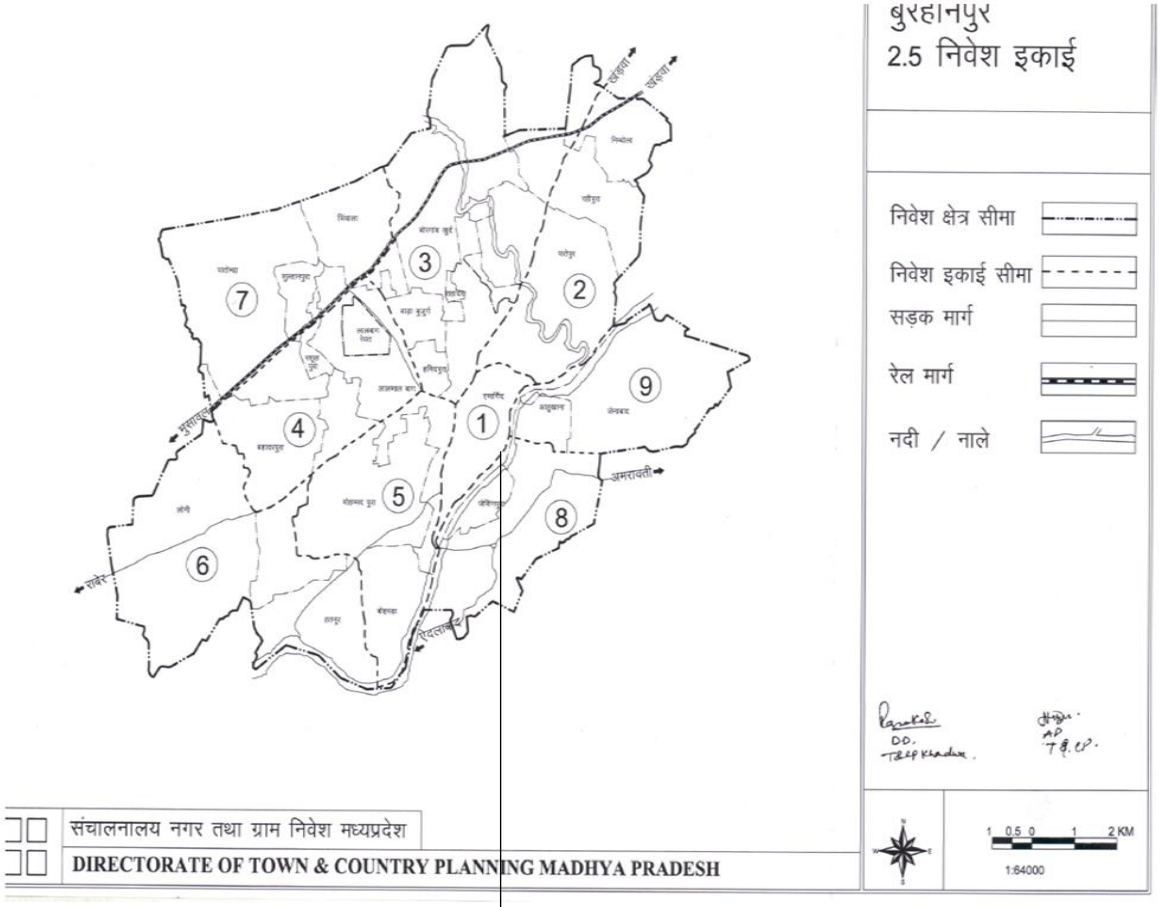


**The Palace situated in the Fort at Burhanpur, Madhya Pradesh**

**अनुलग्नक-III (ख)**
**ANNEXURE–III (b)**

## बुरहानपुर विकास योजना 2021-पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के स्थान
## Burhanpur Development Plan 2021 – Places of archaeological and historical importance

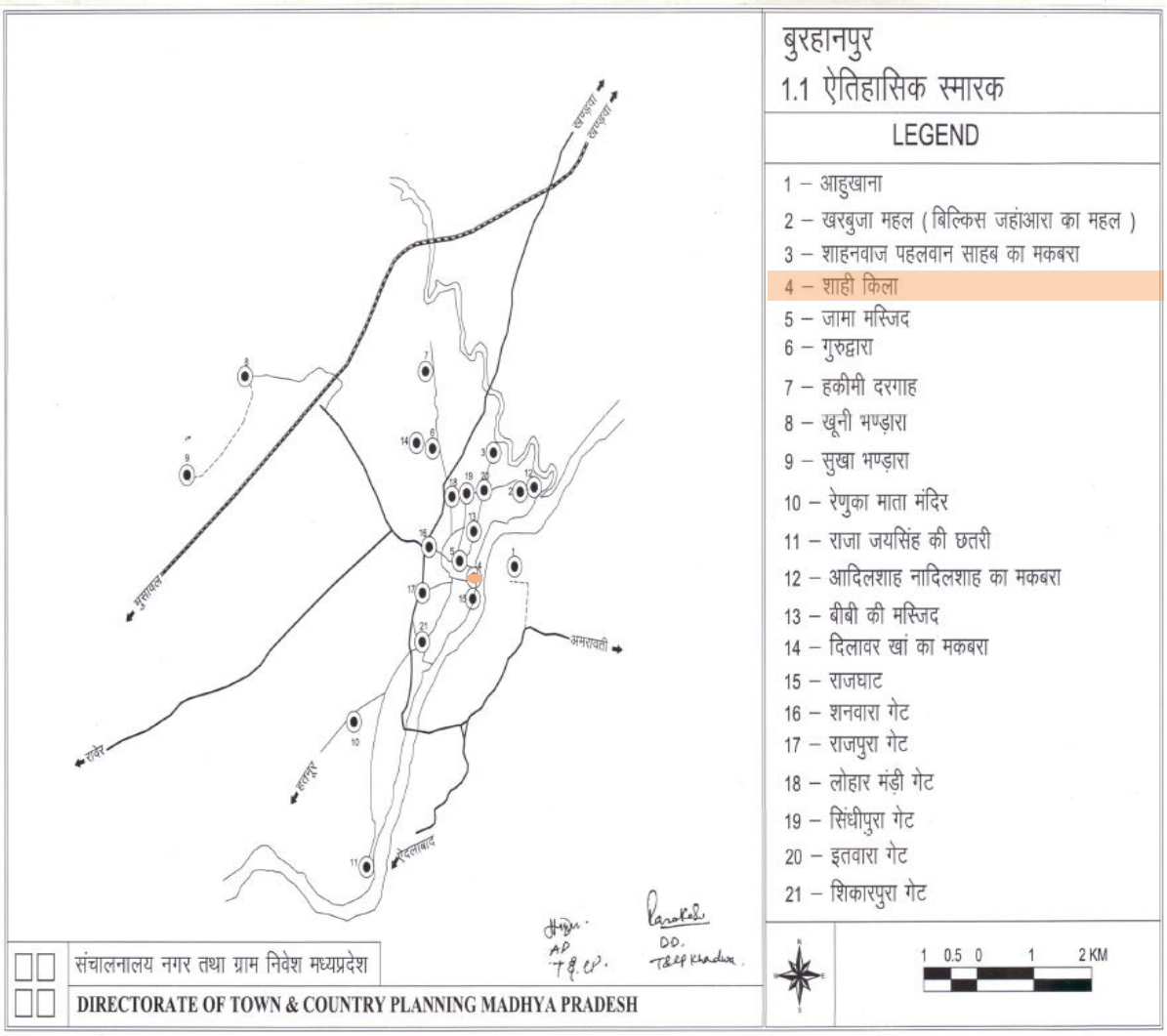

**अनुलग्नक-IV**
**ANNEXURE–IV**

## संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के चित्र
## Images of the Protected Monument and its surrounding areas

**चित्र 1: पूर्वी दिशा से संस्मारक का दृश्य**
**Image 1: View of the monument from the East direction**

**चित्र 2: परिसर में उद्यान का दृश्य**
**Image 2: View of the garden in the premises**

**चित्र 3: महल में मिनार का दृश्य**
**Image 3: View of the minaret in the Palace complex**

चित्र 4: विशिष्ट मुगल भित्तिचित्र और चित्रकारी
**Image 4: Typical Mughal frescoes and paintings**

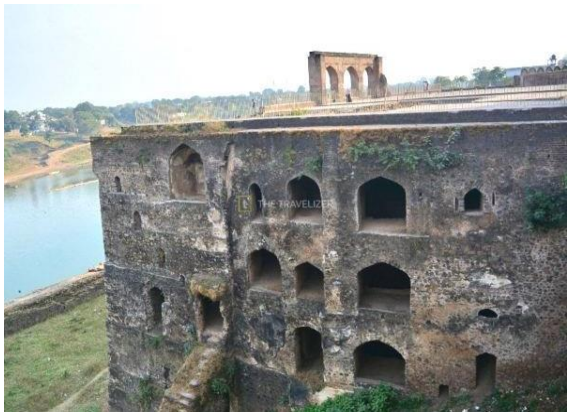

चित्र 5: दीवान-ए-आम के अन्तर्गत संरचना का दृश्य
**Image 5: View of structure under the Diwan-e-Aam**

चित्र 6: शाही हम्माम का दृश्य
**Image 6: View of the Shahi Hammam**

**चित्र 7: शाही हम्माम का आन्तरिक दृश्य**
**Image 7: Interior view of the Shahi Hammam**

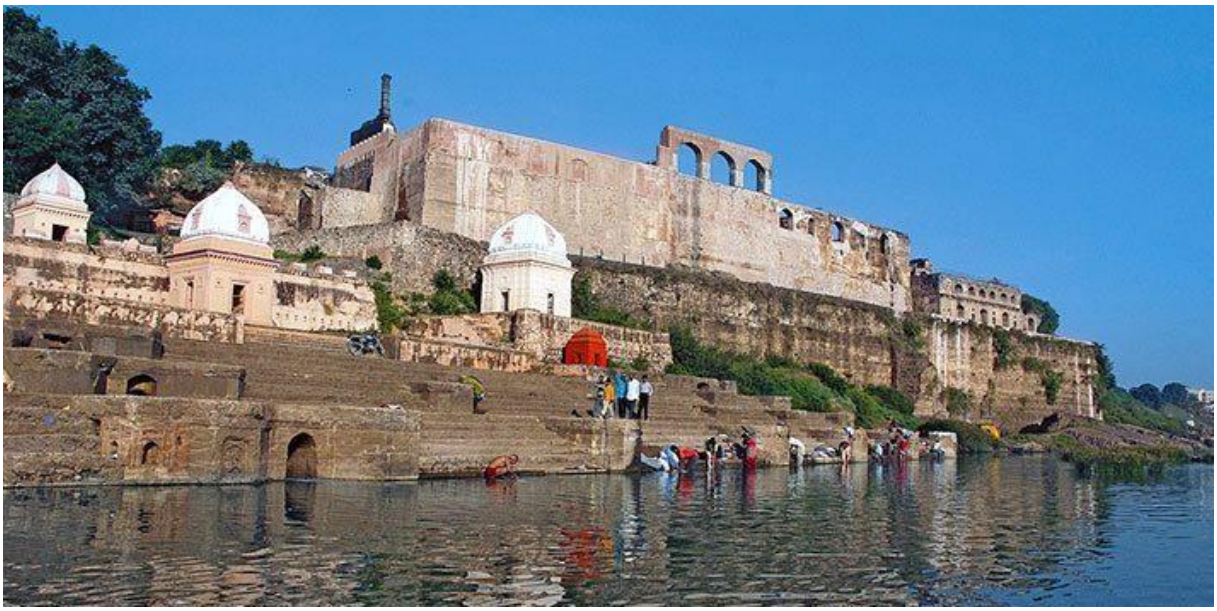

चित्र 8, 9 और 10: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में तापी नदी के किनारे राजघाट क्षेत्र का दृश्य

**Image 8, 9 and 10: View of the Rajghat area along the Tapti River, in the Prohibited Area**

चित्र 11: संरक्षित संस्मारक की पूर्व दिशा की ओर विस्तरित चित्र
**Image 11: Expansive Views to the East of the Protected Monument**

चित्र 12: किला रोड के साथ निर्माण
**Image 12: Built-up along the Qila Road**

चित्र 13: संरक्षित संस्मारक के लिए रास्ता
**Image 13: Entrance to the Protected Monument**

चित्र 14: राजघाट रोड के साथ निर्माण
**Image 14: Built-up along the Rajghat Road**

चित्र 15: दक्षिण दिशा में ऐतिहासिक गेट
**Image 15: Historic gate in the South direction**

चित्र 16 और 17: उत्तर में शैक्षिक संस्थान - हकीमिया स्कूल तथा क्वाडेरिया विज्ञान, कला और वाणिज्य महाविद्यालय
**Image 16 and 17: Educational Institutions in the North - Hakimia School and Quaderia Science, Arts and Commerce College**